

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 4, 2018/आषाढ़ 13, 1940 No. 253] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 4, 2018/ASHADHA 13, 1940

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018

- सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी./031.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—
- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 है ।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और उक्त तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं में लाग होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(कक) "लेनदारों का वर्ग" से ऐसा वर्ग अभिप्रेत है जिसमें धारा 21 की उपधारा (6क) के खंड (ख) के अधीन कम से कम दस वित्तीय लेनदार हैं, और "किसी वर्ग में लेनदार" अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन तद्नुसार किया जाएगा ।"
- 3. मूल विनियमों के विनियम 3 में,-

3783 GI/2018 (1)

- (क) उप-विनियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पांच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे:
 - (ख) उप-विनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - " (1क) जहां समिति अंतरिम समाधान व्यावसायिक को समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त करने या धारा 22 के अधीन अंतरिम समाधान व्यावसायिक को प्रतिस्थापित करने या धारा 27 के अधीन समाधान व्यावसायिक को प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय करती है वहां वह प्रस्तावित समाधान व्यावसायिक से अनुसूची के प्ररूप कक में लिखित सहमति प्राप्त करेगी ।"
- 4. मूल विनियमों में विनियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"4क. प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन

- (1) अंतरिम समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट ऋणी की लेखा-बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेखों की परीक्षा करने पर लेनदारों के वर्ग(वर्गों), यदि कोई हैं, को अभिनिश्चित करेगा ।
- (2) अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समिति में उप-विनियम (1) के अधीन अभिनिश्चित किसी वर्ग में लेनदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे तीन दिवाला व्यावसायिकों की पहचान करेगा जो,-
 - (क) उसके नातेदार या संबद्ध पक्षकार नहीं हैं;
 - (ख) विनियम 3 के अधीन दिवाला व्यावसायिक होने के पात्र हैं; और
 - (ग) उस वर्ग में वित्तीय लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं।
- (3) अंतरिम समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (2) के अधीन पहचान किए गए प्रत्येक दिवाला व्यावसायिक से उस वर्ग के लेनदारों के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अनुसूची के प्ररूप कख में सहमति प्राप्त करेगा ।"
- 5. मूल विनियमों के विनियम 6 के,-
- (i) उप-विनियम (2) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः-
 - "(खक) यह कथन होगा कि दावे के प्ररूप कहां से यथास्थिति, डाउनलोड या अभिप्राप्त किए जा सकते हैं;
- (खख) विनियम 4क के अधीन पहचान किए गए तीन दिवाला व्यावसायिकों की प्रत्येक वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चयन की प्रस्थापना होगी; और"।
- (ii) उप-विनियम (3) में, "व्याख्या सार्वजनिक घोषणा पर होने वाला खर्च दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का भाग नहीं होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
- 6. मूल विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (1) में "अपने दावे का प्रमाण" शब्दों के स्थान पर "सबूत सहित अपना दावा" शब्द रखे जाएंगे ।
- 7. मूल विनियमों के विनियम 8 में,-
 - (क) उप-विनियम (1) में,-
 - (i) "कारपोरेट ऋणी के वित्तीय लेनदार अपने दावे का प्रमाण" शब्दों के स्थान पर "लेनदारों के किसी वर्ग से संबंधित किसी वित्तीय लेनदार से भिन्न वित्तीय लेनदार अपने सबूत सही दावा" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) उप-विनियम (2) के खंड (ख) के उपखंड (iii) में, "वापस" शब्द के स्थान पर "संदत्त" शब्द रखा जाएगा ।
- 8. मूल विनियमों में, विनियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

8क किसी वर्ग में लेनदारों द्वारा दावे

- "(1) ऐसा व्यक्ति, जो किसी वर्ग में कोई लेनदार होने का दावा करता है, अंतरिम समाधान व्यावसायिक को इलैक्टानिक रूप में अनुसूची के प्ररूप गक में सबूत सहित दावा प्रस्तुत करेगा ।
 - (2) किसी वर्ग में लेनदार को देय ऋण की विद्यमानता निम्नलिखित के आधार पर साबित की जा सकेगी -

- (क) किसी इनफार्मेशन यूटिलिटी के पास उपलब्ध अभिलेख, यदि कोई है; या
- (ख) अन्य सुसंगत दस्तावेज़, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई है-
 - (i) विक्रय करार;
 - (ii) आबंटन पत्र;
 - (iii) किए गए संदाय की रसीद; या
 - (iv) ऐसा कोई अन्य दस्तावेज़, जिसमें ऋण की विद्यमानता का साक्ष्य मिलता हो।
- (3) किसी वर्ग में कोई लेनदार, उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा में दिए गए तीन विकल्पों में से अपनी पसन्द उपदर्शित कर सकेगा"।
- 9. मूल विनियमों के विनियम 9 के उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) में, "दावे का प्रमाण" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "सबूत सहित दावा" शब्द रखे जाएंगे ।
- 10. मूल विनियमों के विनियम 9क के उप-विनियम (1) में, "अपने दावे का सबूत" शब्दों के स्थान पर "सबूत सहित अपना दावा" शब्द रखे जाएंगे ।
- 11. मूल विनियमों के विनियम 12 में,-
 - (क) उप-विनियम (1) में, "दावे के प्रमाण" शब्दों के स्थान पर "सबूत सहित दावा" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) ऐसा लेनदार, जो कि सार्वजनिक उद्घोषणा में अनुबद्ध समय के भीतर सबूत सिंहत दावा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन या उससे पूर्व यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को सबूत सिंहत दावा प्रस्तुत कर सकेगा।";
- (ग) उप-विनियम (3) में, "वित्तीय लेनदार" शब्दों के स्थान पर "विनियम 8 के अधीन वित्तीय लेनदार" शब्द रखे जाएंगे ।
- 12. विनियम 16 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"16क. प्राधिकृत प्रतिनिधि

(1) अंतरिम समाधान व्यावसायिक, ऐसे दिवाला व्यावसायिक का, जो विनियम 12 के उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त प्ररूप गक में किसी वर्ग में वित्तीय लेनदारों की अधिकतम संख्या की पसन्द है, संबंधित वर्ग के लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चयन करेगा :

परन्तु विनियम 12 के उप-विनियम (2) के अधीन प्राप्त प्ररूप गक में प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए किसी दिवाला व्यावसायिक के लिए पसन्द पर विचार नहीं किया जाएगा ।

- (2) अंतरिम समाधान व्यावसायिक, विनियम 12 के उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त दावों के सत्यापन के दो दिन के भीतर उप-विनियम (1) के अधीन चयनित प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।
- (3) लेनदारों के किसी वर्ग के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति में विलंब होने से समिति द्वारा किए गए किसी विनिश्चय की विधिमान्यता पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- (4) अंतरिम समाधान व्यावसायिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ग में लेनदारों की सूची उपलब्ध कराएगा।
- (5) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ग में लेनदारों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा, जैसे ही वह सूची अद्यतन की जाती है ।

स्पष्टीकरण: प्राधिकृत प्रतिनिधि की उस वर्ग के, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, लेनदारों के दावों की प्राप्ति या सत्यापन में कोई भूमिका नहीं होगी ।

- (6) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, प्राधिकृत प्रतिनिधि और उस वर्ग के लेनदारों के बीच संचार के इलैक्ट्रानिक माध्यम उपलब्ध कराएगा ।
- (7) किसी वर्ग में किसी लेनदार का मतदान अंश वित्तीय ऋण के अनुपात में होगा जिसमें आठ प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज शामिल है जब तक कि पक्षकारों के बीच इससे भिन्न दर पर सहमति न हुई हो ।
- (8) किसी वर्ग में लेनदारों का प्राधिकृत प्रतिनिधि, समिति की ऐसी प्रत्येक बैठक के लिए, जिसमें वह उपस्थित होता है, निम्नलिखित रीति में फीस प्राप्त करने का हकदार होगा, अर्थात्:-

वर्ग में लेनदारों की संख्या	समिति की प्रत्येक बैठक के लिए फीस (रुपयों में)
10-100	15,000
101-1000	20,000
1000 से अधिक	25,000

(9) प्राधिकृत प्रतिनिधि, किसी वर्ग में के लेनदारों को मतदान अनुदेशों के लिए विंडो खुलने से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व कार्यसूची परिचालित करेगा और मतदान विंडो के खुलने की घोषणा करेगा तथा मतदान विंडो को कम से कम बारह घंटे के लिए खुला रखेगा।

16ख किसी वर्ग में केवल लेनदारों की समिति

जहां कारपोरेट ऋणी में केवल किसी वर्ग के लेनदार हैं और कोई अन्य वित्तीय लेनदार समिति में प्रवेश करने के लिए पात्र नहीं है वहां समिति में केवल प्राधिकृत प्रतिनिधि होगा ।"

- 13. मूल विनियमों के नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - 17. समिति का गठन
- (1) अंतरिम समाधान व्यावसायिक, विनियम 12 के उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त दावों के सत्यापन के दो दिन के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समिति का गठन प्रमाणित करते हुए एक रिपोर्ट फाइल करेगा ।
- (2) समिति की पहली बैठक इस विनियम के अधीन रिपोर्ट फाइल किए जाने के सात दिन के भीतर अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा आयोजित करेगा।
- (3) जहां समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति में विलंब होता है वहां अंतरिम समाधान व्यावसायिक, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने के चालीसवें दिन से तब तक समाधान व्यावसायिक के कृत्यों का पालन करेगा जब तक धारा 22 के अधीन समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति नहीं हो जाती है।
- 14. मूल विनियमों में, विनियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "19(1). इस विनियम के अधीन रहते हुए, समिति की कोई बैठक प्रत्येक भागीदार को उस पते पर, जो उसने समाधान व्यावसायिक को उपलब्ध कराया है, लिखित में कम से कम पांच दिन की सूचना देकर बुलाई जाएगी और ऐसी सूचना दस्ती या डाक द्वारा भेजी जाएगी किन्तु हर हालत में प्रत्येक भागीदार को उसकी तामील विनियम 20 के अनुसार इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा की जाएगी।
- (2) समिति सूचना देने की अवधि को पांच दिन से कम से कम चौबीस घंटे की ऐसी अन्य अवधि तक घटा सकेगी, जो वह उपयुक्त समझे:

परन्तु समिति उस अवधि को ऐसी अन्य अवधि जोकि कम से कम अड़तालीस घंटे से कम नहीं होगी तक घटा सकेगी, यदि उसमें कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि है ।"

- 15. मूल विनियमों के विनियम 25 में,-
 - (क) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

- "(3) समाधान व्यावसायिक, ऐसी किसी मद पर जो उस पर चर्चा के पश्चात् मतदान के लिए सूचीबद्ध है, सिमिति के उपस्थित सदस्यों का मत लेगा ।"।
 - (ख) उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(5) समाधान व्यावसायिक –
- (क) बैठक की समाप्ति के अड़तालीस घंटे के भीतर समिति के समस्त सदस्यों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से बैठक के कार्यवृत्त परिचालित करेगा; और
- (ख) बैठक में मतदान के लिए सूचीबद्ध विषयों पर, विनियम 26 के अनुसार इलैक्ट्रानिक मतदान पद्धित से मतदान की ईप्सा करेगा जहां कि ऐसे सदस्यों के लिए मतदान, जिन्होंने भाग में भाग नहीं लिया था, कार्यवृत्त के परिचालवन से चौबीस घंटे के लिए खुला रहेगा।"।
- 16. मूल विनियमों के विनियम 26 के उप-विनियम (2) का लोप किया जाएगा।
- 17. मूल विनियमों के विनियम 27 में "अपनी नियुक्ति से सात दिन" शब्दों के स्थान पर "अपनी नियुक्ति से सात दिन किन्तु दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से सैंतालीस दिन के अपश्चात्" शब्द रखे जाएंगे ।
- 18. मूल विनियमों के विनियम 29 के उप-विनियम (2) में, "समिति का अनुमोदन" शब्दों के स्थान पर "सदस्यों के मतदान अंश के छियासठ प्रतिशत मत द्वारा समिति का अनुमोदन" शब्द रखे जाएंगे ।
- 19. मूल विनियमों में, विनियम 30 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"30क. आवेदन का वापस लिया जाना

- (1) धारा 12क के अधीन वापसी के लिए आवेदन यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को विनियम 36क के अधीन रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण जारी करने से पूर्व अनुसूची के प्ररूप चक में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) उप-विनियम (1) में आवेदन के साथ विनियम 31(ग) और (घ) के प्रयोजनों के लिए आवेदन की तारीख तक उपगत प्राक्कलित लागत मद्धे एक बैंक गारंटी संलग्न की जाएगी।
- (3) समिति उप-विनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन पर अपने गठन के सात दिन या आवेदन प्राप्त होने के सात दिन के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, विचार करेगी ।
- (4) जहां आवेदन का समिति द्वारा 90 प्रतिशत मतदान शेयर सिहत अनुमोदन कर दिया जाता है वहां समाधान व्यावसायिक, ऐसे आवेदन के तीन दिन के भीतर आवेदक की ओर से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (5) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा, उप-विनियम (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन का अनुमोदन कर सकेगा ।"।
- 20. मूल विनियमों के विनियम 31 में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(कक) विनियम 16क के उप-विनियम (7) के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि को संदेय फीस;
 - (कख) धारा 25 के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि के कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके जेब खर्च में से;"।
- 21. मूल विनियमों के विनियम 35क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

35क. अधिमानी और अन्य संव्यवहार

- (1) समाधान व्यावसायिक, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से पचहत्तरवें दिन या उससे पूर्व इस संबंध में राय बनाएगा कि कारपोरेट ऋणी धारा 43, 45, 50 या 66 के अंतर्गत आने वाली प्रकृति के किसी संव्यवहार के अध्यधीन रहा है ।
- (2) जहां समाधान व्यावसायिक की यह राय है कि कारपोरेट ऋणी धारा 43,45,50 या 66 के अंतर्गत आने वाली प्रकृति के किसी संव्यवहार के अध्यधीन रहा है वहां वह बोर्ड को सूचित करते हुए दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से एक सौ पन्द्रहवें दिन या उससे पूर्व एक अवधारण करेगा।

- (3) जहां समाधान व्यावसायिक यह अवधारण करता है कि कारपोरेट ऋणी धारा 43, 45, 50 या 66 के अंतर्गत आने वाली प्रकृति के किसी संव्यवहार के अध्यधीन रहा है वहां वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से एक सौ पैंतीसवें दिन या उससे पूर्व समुचित अनुतोष के लिए आवेदन करेगा।
- 22. मूल विनियमों के विनियम 36 में,-
 - (क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थातु:-
- "(1) समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (4) के अधीन रहते हुए अपनी नियुक्ति के दो सप्ताह के भीतर किन्तु दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से चौवनवें दिन के अपश्चात् समिति के प्रत्येक सदस्य को इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करेगा।"
 - (ख) उप-विनियम (4) में, "या संभावी समाधान आवेदक" शब्दों का लोप किया जाएगा।
- 23. मूल विनियमों के विनियम 36क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"36क. रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

- (1) समाधान व्यावसायिक, हितबद्ध और पात्र भावी समाधान आवेदकों से समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए यथासंभव शीघ्र किन्तु दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने से पचहत्तरवें दिन के अपश्चात्, अनुसूची के प्ररूप छ में रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित करेगा।
- (2) समाधान व्यावसायिक प्ररूप छ –
- (i) कारपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय, यदि कोई है, के अवस्थान पर और ऐसे किसी अन्य अवस्थान पर, जहां समाधान व्यावसायिक की राय में कारपोरेट ऋणी तात्विक कारोबार संक्रियाएं करता है, व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्र में;
 - (ii) कारपोरेट ऋणी का वैबसाइट, यदि कोई है, पर;
 - (iii) बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित वैबसाइट, यदि कोई है, पर; और
 - (iv) ऐसी किसी अन्य रीति में, जो समिति विनिश्चित करे,

प्रकाशित करेगा ।

- (3) अनुसूची के प्ररूप छ में-
- (क) इस बात का कथन होगा कि रूचि की अभिव्यक्ति के लिए विस्तृत आमंत्रण कहां से, यथास्थिति, डाउनलोड या अभिप्राप्त किया जा सकता है: और
- (ख) रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख होगी, जो कि विस्तृत आमंत्रण जारी करने से पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी ।
- (4) उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट विस्तृत आमंत्रण में,-
- (क) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अनुसार समिति द्वारा यथा-अनुमोदित भावी समाधान आवेदकों के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट किए जाएंगे;
 - (ख) धारा 29क के अधीन अपात्रता मानदंडों का कथन होगा, जहां तक वे भावी समाधान आवेदकों को लागू होते हैं;
- (ग) कारपोरेट ऋणी के बारे में ऐसी मूलभूत जानकारी होगी, जो किसी भावी समाधान आवेदक द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित हो; और
 - (घ) रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस या कोई अप्रतिदेय निक्षेप की अपेक्षा नहीं होगी ।
- (5) ऐसा भावी समाधान आवेदक, जो रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण की अपेक्षाएं पूरी करता है, उप-विनियम (3) के खंड (ख) के अधीन आमंत्रण में विनिर्दिष्ट समय के भीतर रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकेगा ।

- (6) उप-विनियम (3) के खंड (ख) के अधीन आमंत्रण में विनिर्दिष्ट समय के पश्चात् प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति अस्वीकार कर दी जाएगी।
 - (7) रूचि की अभिव्यक्ति किसी भी शर्त से मुक्त होगी और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किए जाएंगे –
- (क) भावी समाधान आवेदक द्वारा यह वचनबंध कि वह धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन समिति द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है;
 - (ख) खंड (क) के अधीन मानदंड को पूरा करने के साक्ष्यस्वरूप सुसंगत अभिलेख;
- (ग) भावी समाधान आवेदक द्वारा यह वचनबंध कि वह धारा 29क के अधीन किसी अपात्रता से ग्रस्त नहीं है, जहां तक वह उसे लागू होती है;
 - (घ) खंड (ग) के अधीन अपात्रता का निर्धारण करने में समर्थ बनाने के लिए सुसंगत जानकारी और अभिलेख;
- (ङ) भावी समाधान आवेदक द्वारा यह वचनबंध कि यदि वह कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय अपात्र हो जाता है तो वह समाधान व्यावसायिक को तुरंत सूचित करेगा;
- (च) भावी समाधान आवेदक द्वारा यह वचनबंध कि रूचि की अभिव्यक्ति में दी गई प्रत्येक जानकारी और अभिलेख सही है और किसी भी समय कोई त्रुटि पाए जाने पर वह समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अपात्र हो जाएगा, कोई प्रतिदेय निक्षेप प्रतिसंहत हो जाएगा और उसके विरुद्ध संहिता के अधीन शास्तिक कार्रवाई लागू होगी; और
- (छ) भावी समाधान आवेदक द्वारा इस आशय का वचनबंध कि वह जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगा और वह ऐसी जानकारी का प्रयोग स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए नहीं करेगा तथा धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।
- (8) समाधान व्यावसायिक, इस संबंध में समाधान करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर सम्यक् तत्परता बरतेगा कि भावी समाधान आवेदक –
 - (क) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के उपबंधों;
 - (ख) धारा 29क के उपबंधों; और
- (ग) रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण में यथाविनिर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं, का अनुपालन करता है।
- (9) समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (8) के अधीन सम्यक् तत्परता बरतने के लिए भावी समाधान आवेदक से कोई स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज़ की ईप्सा कर सकेगा।
- (10) समाधान व्यावसायिक, रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख से दस दिन के भीतर, सिमति और ऐसे समस्त भावी समाधान आवेदकों को, जिन्होंने रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, पात्र भावी समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करेगा।
- (11) उप-विनियम (10) में निर्दिष्ट अनंतिम सूची में किसी भावी समाधान आवेदक के समावेशन या अपवर्जन के संबंध में कोई आक्षेप, अनंतिम सूची जारी करने से पांच दिन के भीतर समर्थनकारी दस्तावेज़ों सहित किया जाएगा।
- (12) समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (11) के अधीन प्राप्त आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात्, आक्षेपों की प्राप्ति की अंतिम तारीख के दस दिन के भीतर भावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करेगा ।"।
- 24. मूल विनियमों में, विनियम 36क के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"36ख. समाधान योजनाओं के लिए निवेदन

- (1) समाधान व्यावसायिक, विनियम 36क के उप-विनियम (10) के अधीन अनंतिम सूची जारी किए जाने के पांच दिन के भीतर –
 - (क) अनंतिम सूची में प्रत्येक भावी समाधान आवेदक को; और

(ख) ऐसे प्रत्येक भावी समाधान आवेदक को, जिसने अनंतिम सूची में उसका समावेश न करने के विरुद्ध समाधान व्यावसायिक के विनिश्चय का विरोध किया है.

सूचना ज्ञापन और मूल्यांकन मैट्रिक्स सहित समाधान योजनाओं के लिए एक निवेदन जारी करेगा।

- (2) समाधान योजनाओं के निवेदन में, प्रक्रिया के प्रत्येक चरण और समाधान व्यावसायिक और भावी समाधान आवेदक के बीच चर्चा की रीति और प्रयोजन का विवरण तद्नुरूप समयसीमा सहित दिया जाएगा।
- (3) समाधान योजनाओं के निवेदन में भावी समाधान आवेदकों को समाधान योजना (योजनाएं) प्रस्तुत करने के लिए कम से कम तीस दिन अनुज्ञात किए जाएंगे।
- (4) समाधान योजनाओं के निवेदन में समाधान योजना प्रस्तुत करने या उसके साथ संलग्न करने के लिए किसी अप्रतिदेय निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (5) उप-विनियम (1) के अधीन जारी समाधान योजना के निवेदन या मूल्यांकन मैट्रिक्स में किसी उपांतरण के बारे में उसे नए सिरे से जारी किया गया समझा जाएगा और वह उप-विनियम (3) के अधीन समय-सीमा के अध्यधीन होगा ।
- (6) समाधान व्यावसायिक, समिति के अनुमोदन से, समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की समयसीमा में विस्तार कर सकेगा ।
- (7) समाधान व्यावसायिक, यदि किसी पूर्ववर्ती निवेदन के प्रत्युत्तर में प्राप्त योजनाएं संतोषप्रद नहीं हैं, सिमिति के अनुमोदन से, इस शर्त के अधीन रहते हुए समाधान योजनाओं के लिए एक से अधिक बार निवेदन जारी कर सकेगा कि वह निवेदन अंतिम सूची में सभी भावी समाधान आवेदकों को किया जाए:

परन्तु उप-विनियम (3) के उपबंध इस उप-विनियम के अधीन समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए लागू नहीं होंगे।"

25. मूल विनियमों के विनियम 37 में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(गक) कारपोरेट ऋणी के किन्हीं शेयरों को रद्द या असूचीबद्ध करना, यदि लागू हो;"।

- 26. मूल विनियमों के विनियम 38 में,-
 - (क) उप-विनियम (1) के खंड (क) में "दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागत का भुगतान" शब्दों के स्थान पर "दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का, जहां तक वह असंदत्त है, भुगतान" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - " (3) किसी समाधान योजना से यह प्रदर्शित होगा कि –
 - (क) वह व्यतिक्रम के कारण को दूर करती है;
 - (ख) वह साध्य और व्यवहार्य है;
 - (ग) उसमें उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपबंध हैं;
 - (घ) उसमें अपेक्षित अनुमोदनों के लिए और उसकी समय-सीमा के लिए उपबंध हैं; और
 - (ङ) समाधान आवेदक समाधान योजना को कार्यान्वित करने में सक्षम है।"।
- 27. मूल विनियमों के विनियम 39 में,-
 - (क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(1) अंतिम सूची में शामिल कोई भावी समाधान आवेदक, समाधान व्यावसायिक को संहिता और इन विनियमों के अनुसार तैयार समाधान योजना या योजनाएं विनियम 36ख के अधीन समाधान योजनाओं के लिए निवेदन में दिए गए समय के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज़ों सहित प्रस्तुत कर सकेगा –
 - (क) यह कथन करते हुए एक शपथपत्र कि वह धारा 29क के अधीन समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए पात्र है;

- (ख) ऐसा वचनबंध कि वह विनियम 38 के उप-विनियम (1) के अधीन आने वाले प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सीमा तक अतिरिक्त निधियों के लिए उपबंध करेगा; और
- (ग) भावी समाधान आवेदक द्वारा यह वचनबंध कि समाधान योजना के संबंध में या उसमें दी गई प्रत्येक जानकारी और अभिलेख सत्य और सही है तथा किसी भी समय मिथ्या जानकारी और अभिलेख का पता चलने पर वह कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में बने रहने के लिए अपात्र हो जाएगा, कोई प्रतिदेय निक्षेप प्रतिसंहत हो जाएगा और उसके विरुद्ध संहिता के अधीन शास्तिक कार्रवाई लागू होगी।
- (1क) ऐसी समाधान योजना, जो उप-विनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है, नामंजूर कर दी जाएगी।"|
- (ख) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(3) समिति उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त समाधान योजनाओं का, सर्वोत्तम समाधान योजना की पहचान करने के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार यथार्थतः मूल्यांकन करेगी और उसे ऐसी उपांतरणों सहित, जो वह उचित समझे, अनुमोदित कर सकेगी:

परन्तु समिति किसी समाधान योजना का अनुमोदन करने या उसे अस्वीकार करने के लिए कारण लेखबद्ध करेगी ।"|

- (ग) उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(4) समाधान व्यावसायिक, समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को अनुसूची के प्ररूप ज में अनुपालन प्रमाणपत्र सहित, धारा 12 के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की अधिकतम अवधि से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा ।"।
- 28. मूल विनियमों में, विनियम 40 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

40क. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आदर्श समय-सीमा

निम्नलिखित सारणी में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए इस उपधारणा के आधार पर आदर्श समय-सीमा दी गई है कि अंतरिम समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति प्रक्रिया के प्रारंभ होने की तारीख को कर दी जाती है और उपलब्ध समय एक सौ अस्सी दिन है:

सारणी

धारा/विनियम	क्रियाकलाप का वर्णन	मानक	अद्यतन समय- सीमा
धारा 16(1)	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ और अंतरिम समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति		टी
विनियम 16(1)	दावे आमंत्रित करते हुए सार्वजिनक उद्घोषणा	अंतरिम समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति के 3 दिन के भीतर	ਟੀ+3
धारा 15(1)(ग)/ विनियम 6(2)(ग) और 12(1)	दावों का प्रस्तुत किया जाना	अंतरिम समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति से 14 दिन के लिए	ਟੀ+14
विनियम 12(2)	दावों का प्रस्तुत किया जाना	प्रारंभ से 90 दिनों तक	ਟੀ+90
विनियम 13(1)	विनियम 12(1) के अधीन प्राप्त दावों का सत्यापन	दावे की प्राप्ति के 7 दिन के	टी+21
विनियम 13(2)	विनियम 12(2) के अधीन प्राप्त दावों का सत्यापन	भीतर	टी+97
धारा 21(6क)(ख)/ विनियम 16क	प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए आवेदन	विनियम 12(1) के अधीन प्राप्त दावों के सत्यापन से 2 दिन के	ਟੀ+23
विनियम 17(1)	लेनदारों की समिति का गठन प्रमाणित करने वाली रिपोर्ट	भीतर	ਟੀ+23
धारा 22(1)/ विनियम 19(1)	लेनदारों की समिति की पहली बैठक	लेनदारों की समिति के गठन के 7 दिन के भीतर किन्तु सात दिन की सूचना सहित	ਟੀ+30

धारा 22(2)	लेनदारों की समिति द्वारा समाधान व्यावसायिक नियुक्त करने का प्रस्ताव	लेनदारों की समिति की पहली बैठक में	ਟੀ+30			
धारा 16(5)	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन पर				
विनियम 17(3)	अंतरिम समाधान व्यावसायिक तब तक समाधान व्यावसायिक के कृत्यों का पालन करता है जब तक समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति नहीं हो जाती।	यदि समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होने के 40वें दिन तक नहीं की जाती है	ਟੀ+40			
विनियम 27	मूल्यांकक की नियुक्ति	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति के 7 दिन के भीतर किन्तु प्रक्रिया के प्रारंभ होने के 40वें दिन के अपश्चात्	ਟੀ+47			
धारा 12(क)/ विनियम 30क	स्वीकृत आवेदन की वापसी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना	रूचि की अभिव्यक्ति जारी करने से पूर्व	डब्स्यू			
	लेनदारों की समिति द्वारा आवेदन का निपटारा	उसकी प्राप्ति के 7 दिन या डब्ल्यू+7 लेनदारों की समिति के गठन के 7 दिन के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो।				
	समाधान व्यावसायिक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वापसी के लिए आवेदन फाइल करना, यदि लेनदारों की समिति द्वारा 90 प्रतिशत बहुमत के मतदान द्वारा अनुमोदित किया जाता है।	लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन के तीन दिन के भीतर	डब्ल्यू+10			
विनियम 35क	समाधान व्यावसायिक द्वारा अधिमानी और अन्य संव्यवहारों के बारे में राय बनाना	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 75 दिन के भीतर	ਟੀ+75			
	समाधान व्यावसायिक द्वारा अधिमानी और अन्य संव्यवहारों के बारे में अवधारण करना	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 115 दिन के भीतर	ਟੀ+115			
	समाधान व्यावसायिक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समुचित अनुतोष के लिए आवेदन फाइल करना	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 135 दिन के भीतर	ਟੀ+135			
विनियम 36(1)	लेनदारों की समिति को सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करना	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति के दो सप्ताह के भीतर किन्तु प्रक्रिया प्रारंभ होने के 54वें दिन के अपश्चात्	ਟੀ+54			
	प्ररूप छ प्रकाशित करना	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 75 दिन के भीतर	टी+75			
	रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का आमंत्रण	रूचि की अभिव्यक्ति जारी करने से कम से कम 15 दिन (मान लीजिए 15 दिन)	ਰੀ+90			
विनियम 36क	समाधान व्यावसायिक द्वारा समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची	रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त होने के अंतिम दिन से 10 दिन के भीतर	ਟੀ+100			
	अनंतिम सूची के संबंध में आक्षेप प्रस्तुत करना	अनंतिम सूची की तारीख से 5 दिन के लिए	ਟੀ+105			
	समाधान व्यावसायिक द्वारा समाधान आवेदकों की अंतिम सूची	आक्षेप प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर	ਟੀ+115			
	समाधान योजना के लिए निवेदन जारी करना, जिसमें मूल्यांकन मैट्रिक्स और सूचना ज्ञापन भी है।	अनंतिम सूची जारी करने से 5 दिन के भीतर	ਟੀ+105			

विनियम 36ख	समाधान योजनाओं की प्राप्ति	समाधान योजना के लिए निवेदन जारी करने से कम से कम 30 दिन (मान लीजिए 30 दिन)	ਈ+135
विनियम 39(4)	लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन समाधान योजना का न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना	जैसे ही लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है।	ਟੀ+165
धारा 31(1)	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन		ਟੀ+180

- 29. मूल विनियमों की अनुसूची में,-
- (क) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

प्ररूप क

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

.....(कारपोरेट ऋणी का नाम) के लेनदारों के ध्यानाकर्षण के लिए

	सुसंगत विशिष्टियां	
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2.	कारपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख	
3.	वह प्राधिकार, जिसके अधीन कारपोरेट ऋणी निगमित/रजिस्ट्रीकृत है	
4.	कारपोरेट पहचान सं./ कारपोरेट ऋणी का सीमित दायित्व पहचान संख्यांक	
5.	कारपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का	
	पता	
6.	कारपोरेट ऋणी की बाबत दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के समाप्त होने की प्राक्कलित तारीख	
8.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला व्यावसायिक	
	का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
9.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक का, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता और ई-मेल	
10.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक के साथ पत्र-व्यवहार के लिए प्रयुक्त पता और	
	ई-मेल	
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	
12.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा अभिनिश्चित धारा 21 की उपधारा (6क) की	वर्ग(वर्गों) के नाम :
	खंड (ख) के अधीन लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हैं ।	
13.	किसी वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने के लिए	1.
	अभिलक्षित दिवाला व्यावसायिकों के नाम	2.
14.	(क) सुसंगत प्ररूप और	वैब लिंक
	 (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे यहां उपलब्ध हैं:	वास्तविक पता

यह सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया(दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख) को प्रारंभ करने का आदेश दिया है ।(कारपोरेट ऋणी का नाम) के लेनदारों से अंतरिम समाधान व्यावसायिक को प्रविष्टि सं. 10 के सामने उल्लिखित पते पर(अंतिम समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति से चौदह दिन के भीतर आऩे वाली तारीख अंतःस्थापित करें) को या उससे पूर्व सबूत सहित अपने दावे प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

वित्तीय लेनदार सबूत सिंहत अपने दावे केवल इलैक्टानिक माध्यमों से प्रस्तुत करेंगे । अन्य सभी लेनदार सबूत सिंहत अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

प्रविष्टि सं. 12 के सामने सूचीबद्ध किसी वर्ग का कोई वित्तीय लेनदार प्रविष्टि सं. 13 के सामने सूचीबद्ध तीन दिवाला व्यावसायिकों में से उस वर्ग(वर्ग विनिर्दिष्ट करें) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पसन्द प्ररूप गक में उपदर्शित करेगा।

दावे के मिथ्या या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर शास्तियां लागू होंगी।

अंतरिम समाधान व्यावसायिक का नाम और हस्ताक्षर

तारीख और स्थान:

प्ररूप कक

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 3(1क) के अधीन]

(तारीख)

प्रेषक:

(दिवाला व्यावसायिक का नाम)

(दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक का पता)

सेवा में.

लेनदारों की समिति

(कारपोरेट ऋणी का नाम)

विषय: समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने की लिखित सहमति।

- मैं, (नाम)(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) के पास नामांकित और बोर्ड के पास रिजस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक यह नोट करता हूं कि समिति का मुझे(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए संहिता की धारा $22(3)(\pi)/22(3)(\varpi)/27(2)$ के अधीन समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है।
- 2. मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 3(1क) के अनुसार प्रस्तावित नियुक्ति के लिए अपनी सहमति देता हूं।
- 3. मैं निम्न प्रकार घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं:-
 - क. मैं बोर्ड के पास एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूं ।
 - ख. मैं बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा संस्थित किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं हूं ।
 - ग. मैं समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने संबंधी किसी निःशक्तता से ग्रस्त नहीं हूं ।
- घ. मैं विनियम 3 और संहिता और विनियमों के अन्य लागू उपबंधों के अधीन कारपोरेट ऋणी के समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र हूं।

ङ. मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में यथा-उपवर्णित दिवाला व्यावसायिकों के लिए आचार संहिता के अनुसार प्रकटन करूंगा ।

च. इस समय मेरे पास निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं:

क्रम सं.	भूमिका	सहमति की तारीख को प्रक्रियाओं की संख्या
1	अंतरिम समाधान व्यावसायिक	
2	क. कारपोरेट ऋणियों	
	ख. व्यष्टियों	
	का समाधान व्यावसायिक	
3	क. समापन प्रक्रियाओं	
	ख. स्वेच्छया समापन प्रक्रियाओं	
	का परिसमापक	
4	शोधन-अक्षमता न्यासी	
5	प्राधिकृत प्रतिनिधि	
6	कोई अन्य (कृपया वर्णन करें)	

तारीख:	(दिवाला व्यावसायिक के हस्ताक्षर)
स्थान:	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

प्ररूप कख

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 4क(3) के अधीन]

प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए लिखित सहमति

(तारीख)

प्रेषक:
(दिवाला व्यावसायिक का नाम)
(दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)
बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक का पता)
सेवा में,
अंतरिम समाधान व्यावसायिक
(कारपोरेट ऋणी का नाम)

विषय: प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की लिखित सहमति ।

मैं,	(नाम) .		(दिवाला	व्यावसायिक	संस्था	का नाम)	के पास	नामांकित	और बोर्ड	के पास	रजिस्ट्रीकृत	दिवाला
व्य	ावसायिक -	यह नोट व	_{हरता} हूं वि	जापने मुझे		.(कारपोरे	ट ऋणी ब	का नाम) र्व	न <mark>ी कारपोरेट</mark>	दिवाला	समाधान प्र	ाक्रिया के
लि	ए	(वर्ग विनि	नेर्दिष्ट करें)	वर्ग में वित्ती	य लेनदा	रों के प्राधि	कृत प्रति	निधि के रू	प में नियुक्त	करने क	ा प्रस्ताव वि	वा है ।

- 2. मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 4(क) के अनुसार प्रस्तावित नियुक्ति के लिए अपनी सहमति देता हूं।
- 3. मैं निम्न प्रकार घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं:-
 - क. मैं बोर्ड के पास एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूं ।
 - ख. मैं बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा संस्थित किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं हूं।
 - ग. मैं समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने संबंधी किसी निःशक्तता से ग्रस्त नहीं हूं ।
 - घ. मैं लेनदारों से प्ररूप चक में मेरे पक्ष में अपनी पसन्द उपदर्शित करने के लिए याचना नहीं करूंगा ।
 - ङ. इस समय मेरे पास निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं:

क्रम सं.	भूमिका	प्रक्रियाओं की संख्या सहमति की तारीख को
1	अंतरिम समाधान व्यावसायिक	
2	क. कारपोरेट ऋणियों	
	ख व्यष्टियों	
	का समाधान व्यावसायिक	
3	क. समापन प्रक्रियाओं	
	ख. स्वेच्छया समापन प्रक्रियाओं	
	का परिसमापक	
4	शोधन-अक्षमता न्यासी	
5	प्राधिकृत प्रतिनिधि	
6	कोई अन्य (कृपया वर्णन करें)	

तारीख:

(दिवाला व्यावसायिक के हस्ताक्षर)

स्थान:

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक......

(ख) प्ररूप ग के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"प्ररूप ग वित्तीय लेनदारों द्वारा दावा प्रस्तुत करना

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 8 के अधीन]

(तारीख)

प्रेषक

(वित्तीय लेनदार का नाम और पता, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय का पता भी है) सेवा में.

(सार्वजनिक उद्घोषणा में यथा-उपवर्णित पता)

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक

(अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम)

विषय: दावा और दावे का सबूत प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

.......(वित्तीय लेनदार का नाम)(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बाबत यह दावा प्रस्तुत करता है । इसका विवरण नीचे उपवर्णित किया जाता है:

	सुसंगत विशिष्टियां								
1	वित्तीय लेनदार का नाम								
2	वित्तीय लेनदार का पहचान संख्यांक								
	(यदि कोई निगमित निकाय है तो पहचान संख्यांक और निगमन का सबूत दें । यदि कोई								
	भागीदारी फर्म या व्यष्टि है तो सभी भागीदारों या व्यष्टि के पहचान अभिलेख* दें)								
3	पत्र-व्यवहार के लिए वित्तीय लेनदार का पता और ई-मेल पता								
4	दावे की कुल रकम (रुपयों में)								
5	उन दस्तावेज़ों के ब्यौरे, जिनके प्रति निर्देश करके ऋण सिद्ध किया जा सकता है ।								
6	इस संबंध में ब्यौरे कि ऋण कब और कैसे उपगत हुआ ।								
7	कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच किसी पारस्परिक प्रत्यय, पारस्परिक ऋण या अन्य								
	पारस्परिक व्यवहारों के ब्यौरे, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सकता है ।								
8	धारित किसी प्रतिभूति के ब्यौरे, प्रतिभूति का मूल्य और वह तारीख जब वह दी गई थी ।								
9	बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें किसी समाधान योजना के अनुसरण में दावे या उसके किसी								
	भाग की रकम अंतरित की जा सकती है ।								
10	वित्तीय लेनदार को देय दावे की विद्यमानता और असंदाय साबित करने की दृष्टि से इस								
	दावे में संलग्न दस्तावेज़ों की सूची								

वित्तीय लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(कृपया प्राधिकार-पत्र संलग्न करें यदि यह वित्तीय लेनदारों की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है)
नाम स्पष्ट अक्षरों में
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

घोषणा

٦٠	, ,		,	C	,	•	\sim	₹,		_	-			•
म	(दावाकर्ता	का नाम)	वतमान	ानवासा	(पता	अतःस्था	ापत	कर)ः	यह '	घाषणा	आर व	म्थन	करता	हू∵-

- 1.(कारपोरेट ऋणी का नाम), कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को जो कि......20 है वास्तव मेंरुपए (दावे की रकम भरें) की राशि के लिए मेरा ऋणी है।
- 2. मैने उक्त धनराशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है (कृपया दावे के साक्ष्यस्वरूप अवलंब लिए गए दस्तावेज़ों की सूची दें)
- 3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं और उनमें से कोई तात्विक तथ्य छिपाए नहीं गए हैं।

^{*} पैन नं., पासपोर्ट, आधार कार्ड या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

4. मैने और मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने, मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिए किसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तुष्टि या प्रतिभूति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है:

[कृपया किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके ।]

- 5. मैं संहिता की धारा 5(24) के अधीन यथा-परिभाषित कारपोरेट ऋणी/उसके संबंध में संबद्ध पक्षकार नहीं हूं ।
- 6. मैं संहिता की धारा 21(2) के परन्तुक के आधार पर लेनदारों की समिति में प्रवेश करने का पात्र हूं यद्यपि मैं कारपोरेट ऋणी से संबद्ध पक्षकार हूं ।

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्द्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है ।

..... 20.. को सत्यापित ।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

[टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा]

प्ररूप गक

किसी वर्ग में वित्तीय लेनदारों द्वारा दावा प्रस्तुत करना

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 8क के अधीन]

(तारीख)

प्रेषक

(वित्तीय लेनदार का नाम और पता, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय का पता भी है)

सेवा में,

(सार्वजनिक उद्घोषणा में यथा-उपवर्णित पता)

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक

(अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम)

विषय: दावा और दावे का सबूत प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

.......(वित्तीय लेनदार का नाम)(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बाबत यह दावा प्रस्तुत करता है । इसका विवरण नीचे उपवर्णित किया जाता है:

ससंगत विशिष्टियां

		1
1	वित्तीय लेनदार का नाम	
2	वित्तीय लेनदार का पहचान संख्यांक	
	(यदि कोई निगमित निकाय है तो पहचान संख्यांक और निगमन का सबूत दें । यदि कोई	
	भागीदारी फर्म या व्यष्टि है तो सभी भागीदारों या व्यष्टि के पहचान अभिलेख दें)	
	इस प्रयोजनार्थ पहचान अभिलेख के अंतर्गत आयकर स्थायी खाता सं. (पैन), आधार या	
	भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल है ।	
3	पत्र-व्यवहार के लिए वित्तीय लेनदार का पता और ई-मेल पता	
4	दावे की कुल रकम	
	(जिसके अंतर्गत दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को कोई ब्याज भी है)	
5	उन दस्तावेज़ों के ब्यौरे, जिनके प्रति निर्देश करके ऋण सिद्ध किया जा सकता है।	
6	इस संबंध में ब्यौरे कि ऋण कब और कैसे उपगत हुआ ।	
7	कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच किसी पारस्परिक प्रत्यय, पारस्परिक ऋण या अन्य	
	पारस्परिक व्यवहारों के ब्यौरे, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सकता है ।	
8	धारित किसी प्रतिभूति के ब्यौरे, प्रतिभूति का मूल्य और वह तारीख जब वह दी गई थी ।	
9	बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें किसी समाधान योजना के अनुसरण में दावे या उसके किसी	
	भाग की रकम अंतरित की जा सकती है ।	
10	वित्तीय लेनदार को देय दावे की विद्यमानता और असंदाय साबित करने की दृष्टि से इस	_
	दावे में संलग्न दस्तावेज़ों की सूची	
11	उस दिवाला व्यावसायिक का नाम जो वर्ग के लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में	
	कार्य करेगा ।	

(वित्तीय लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम स्पष्ट अक्षरों में
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

^{*} पैन नं., पासपोर्ट, आधार कार्ड या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

घोषणा

मैं(दावाकर्ता का नाम) वर्तमान निवासी.......(पता अंतःस्थापित करें) यह घोषणा और कथन करता हूं:-

- 1.(कारपोरेट ऋणी का नाम), कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को जो कि......20 है वास्तव मेंरुपए (दावे की रकम भरें) की राशि के लिए मेरा ऋणी है ।
- 2. मैने उक्त धनराशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है (कृपया दावे के साक्ष्यस्वरूप अवलंब लिए गए दस्तावेज़ों की सूची दें)
- 3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं और उनमें से कोई तात्विक तथ्य छिपाए नहीं गए हैं।
- 4. मैने और मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने, मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिए किसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तुष्टि या प्रतिभूति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है:

[कृपया किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके ।]

- 5. मैं संहिता की धारा 5(24) के अधीन यथा-परिभाषित कारपोरेट ऋणी/उसके संबंध में संबद्ध पक्षकार नहीं हूं ।
- 6. मैं संहिता की धारा 21(2) के परन्तुक के आधार पर लेनदारों की समिति में प्रवेश करने का पात्र हूं यद्यपि मैं कारपोरेट ऋणी से संबद्ध पक्षकार हूं ।

तारीख:

स्थान:

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्द्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

..... 20.. को सत्यापित ।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

[टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा]"

(ग) प्ररूप च के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप चक

कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया वापस लेने के लिए आवेदन

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 30क के अधीन]

(तारीख)

सेवा में.

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

(अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक के माध्यम से)

(कारपोरेट ऋणी का नाम)

विषय:(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए स्वीकृत आवेदन की वापसी।

मैने (आवेदक का नाम), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7/धारा 9/धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष.........(फाइल करने की तारीख) को (आवेदन की विशिष्टियां, अर्थात् डायरी सं./कंपनी याचिका सं.) फाइल किया था। उक्त आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा(तारीख) को(मामला सं.) के रूप में ग्रहण कर लिया गया था।

- 2. मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7/धारा 9/धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष.......(आवेदन की विशिष्टियां, अर्थात् डायरी सं./कंपनी याचिका सं.) को वापस लेता हूं।
- 3. मैं लेनदारों की समिति से यह अनुरोध करता हूं कि वापसी के लिए मेरा आवेदन अनुमोदित करें।
- 4. मैं समाधान व्यावसायिक को अपनी ओर से समाधान व्यावसायिक को वापसी के लिए यह आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल करने के लिए प्राधिकृत करता हूं, यदि लेनदारों की समिति द्वारा 90 प्रतिशत मतदान शक्ति के साथ इसका अनुमोदन कर दिया जाता है।

5. मैं विनियम 31(ग) और (घ) के प्रयोजनों के लिए आवेदन की तारीख तक उपगत प्राक्कलित लागत मद्धे अपेक्षित बैंक गारंटी संलग्न करता हूं।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

[टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा]";

(घ) प्ररूप छ के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप छ रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36क(1) के अधीन]

	सुसंगत प्रविष्टियां	
1	निगमित ऋणी का नाम	
2	निगमित ऋणी के निगमन की तारीख	
3	वह प्राधिकारी, जिसके अधीन निगमित ऋणी निगमित/ रजिस्ट्रीकृत है	
4	निगमित ऋणी का निगमन पहचान संख्यांक/सीमित दायित्व पहचान संख्यांक	
5	निगमित ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	
6	निगमित ऋणी की बाबत दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	
7	रूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तारीख	
8	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता कहां उपलब्ध है:	
9	धारा 29क के अधीन लागू अपात्रता के मानदंड कहां उपलब्ध हैं:	
10	रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तारीख	
11	भावी समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तारीख	
12	अनंतिम सूची के संबंध में आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	
13	भावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तारीख	
14	भावी समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांक मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए निवेदन जारी करने की तारीख	
15	समाधान योजना के लिए निवेदन, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की रीति	
16	समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	
17	समाधान व्यावसायिक को समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की रीति	
18	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने की प्राक्कलित तारीख	
19	समाधान व्यावसायिक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
20	बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत समाधान व्यावसायिक का नाम, पता और ईमेल	

21	समाधान व्यावसायिक के साथ पत्र-व्यवहार के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पता और ईमेल	
22	अतिरिक्त विवरण कहां और किसके पास उपलब्ध है	
23	प्ररूप छ के प्रकाशन की तारीख	

समाधान व्यावसायिक के हस्ताक्षर समाधान व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक समाधान व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकृत पता (कारपोरेट ऋणी का नाम) की ओर से (तारीख और स्थान)

प्ररूप ज

अनुपालन प्रमाणपत्र

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 39(4) के अधीन]

मैं, (समाधान व्यावसायिक का नाम) (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) के पास नामांकित और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकरण संख्यांक.....(रजिस्ट्रीकरण संख्यांक) से रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान व्यावसायिक हूं।

2. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	विशिष्टियां	विवरण
1	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने की तारीख	
3	अंतरिम समाधान व्यावसायिक नियुक्त करने की तारीख	
4	सार्वजनिक उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख	
5	लेनदारों की समिति के गठन की तारीख	
6	लेनदारों की पहली बैठक की तारीख	
7	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति की तारीख	
8	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की नियुक्ति की तारीख	
9	रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण जारी करने की तारीख	
10	पात्र भावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची की तारीख	
11.	समाधान योजना के आमंत्रण तारीख	
12	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	
13	लेनदारों की समिति द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख	
14	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष समाधान योजना फाइल करने की तारीख	
15	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के 180 दिन समाप्त होने की तारीख	

16	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि बढ़ाने वाले आदेश की तारीख	
17	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने की तारीख	
18	उचित मूल्य	
19	समापन मूल्य	
20	लेनदारों की समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	

- 3. मैंने समाधान आवेदक (मैसर्स.....) की ओर से प्राप्त और..... (कारपोरेट ऋणी का नाम) के लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की परीक्षा की है ।
- 4. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि -
- (i) उक्त समाधान योजना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016(संहिता) और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (सी.आई.आर.पी. विनियम) के समस्त उपबंधों का अनुपालन करती है और यह तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करती है।
- (ii) समाधान आवेदक (मैसर्स......) ने संहिता की धारा 30(1) के अनुसरण में एक शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने संबंधी संहिता की धारा 29क के अधीन उसकी पात्रता को प्रमाणित किया गया है । उक्त शपथपत्र की अंतर्वस्तु सही है ।
- (iii) उक्त समाधान योजना का लेनदारों की समिति द्वारा संहिता और उसके अधीन बनाए गए सी.आई.आर.पी. विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनुमोदन कर दिया गया है। समाधान योजना सी.आई.आर.पी. विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट साध्यता और व्यवहार्यता और अन्य अपेक्षाओं पर विचार करने के पश्चात् वित्तीय लेनदारों के प्रतिशत (मतों की संख्या का वर्णन करें जिसके द्वारा समाधान योजना का लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है) मतदान शेयर द्वारा अनुमोदित की गई है।
- (iv) मतदान का आयोजन लेनदारों की समिति का(बैठक की तारीख का कथन करें) को हुई बैठक में किया गया था जहां लेनदारों की समिति के समस्त सदस्य उपस्थित थे ।

या

मैने इलैक्ट्रानिक मतदान पद्धति द्वारा लेनदारों की समिति के सदस्यों से मतदान की ईप्सा की थी, जो कि विनियम 26 के अनुसार 24 घंटे के लिए खुला रखा गया था।

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

5. कारपोरेट ऋणी के वित्तीय लेनदारों की सूची (कारपोरेट ऋणी के नाम का उल्लेख करें) जो कि लेनदारों की सिमिति के सदस्य हैं और उनके बीच मतदान शेयर का वितरण निम्नलिखित रूप में है:-

क्रम सं.	लेनदार का नाम	मतदान शेयर (प्रतिशत)	समाधान योजना के लिए मतदान योजना (पक्ष में
			मत/विपक्ष में मत/अनुपस्थित

6. समाधान योजना के अंतर्गत सी.आई.आर.पी. विनियमों के विनियम 38(1क) के अधीन इस संबंध में कथन शामिल है कि इसमें संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुपालन में सभी हितधारकों के हितों पर किस प्रकार विचार किया गया है।

7. समाधान योजना के अधीन हितधारकों के लिए उपबंधित रकम निम्न प्रकार है:—

(रकम लाख रुपयों में)

क्रम सं.	हितधारक का प्रवर्ग*	दावाकृत रकम	स्वीकृत रकम	योजना के अधीन उपबंधित रकम#	दावाकृत रकम के मुकाबले दी गई रकम(%)
1	विसम्मत प्रतिभूत वित्तीय लेनदार				
2	अन्य प्रतिभूत वित्तीय लेनदार				
3	विसम्मत अप्रतिभूत वित्तीय लेनदार				
4	अन्य अप्रतिभूत वित्तीय लेनदार				
5	प्रक्रियागत लेनदार				
	सरकार				
	कर्मकार				
	कर्मचारी				
6	अन्य ऋण और देय				
	कुल				

*यदि किसी प्रवर्ग में उप-प्रवर्ग हैं तो कृपया प्रत्येक उप-प्रवर्ग के लिए पंक्ति जोड़े ।

#समाधान योजना के अधीन समय-समय पर दी गई रकम और इसमें गैर-नकदी संघटकों की प्राक्कलित मूल्य भी शामिल है ।

यह एन.पी.वी. नहीं है ।

8. समाधान योजना द्वारा विद्यमान शेयरधारकों के हितों में निम्न प्रकार परिवर्तन हुआ है:

क्रम सं.	शेयरधारक का	सी.आई.आर.पी.	सी.आई.आर.पी.	सी.आई.आर.पी.	सी.आई.आर.पी.
	प्रवर्ग	से पूर्व धारित	के पश्चात् धारित	से पूर्व धारित	के पश्चात् धारित
		शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	मतदान शेयर (%)	मतदान शेयर(%)
1	साधारण पूंजी				
2	अधिमान				
3					

9. समाधान योजना का अनुपालन निम्न प्रकार है:—

संहिता की धारा/ विनियम सं.	समाधान योजना की बाबत अपेक्षा	समाधान योजना का खंड	अनुपालन (हां/नहीं)
25(2)(ज)	क्या समाधान आवेदक, कारपोरेट ऋणी के कारबार की जटिलता और प्रचालन के स्तर को ध्यान में रखते हुए लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित मानदंडों को पूरा करता है?		
धारा 29क	क्या समाधान आवेदक, समाधान व्यावसायिक की अंतिम सूची या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश, यदि कोई है, के अनुसार समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र है?		

	T		
धारा 30(1)	क्या समाधान आवेदक ने यह कथन करते हुए कोई शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि वह पात्र है?		
धारा 30(2)	क्या समाधान योजना में		
	(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत के संदाय के लिए उपबंध है?		
	(ख) प्रक्रियागत लेनदारों के ऋणों के संदाय के लिए उपबंध है?		
	(ग) कारपोरेट ऋणी के कामकाज के प्रबंधन के लिए उपबंध है?		
	(घ) समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए उपबंध है?		
	(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है?		
धारा 30(4)	क्या समाधान योजना		
	(क) लेनदारों की समिति के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है?		
	(ख) लेनदारों की समिति द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर सहित अनुमोदित है?		
धारा 31(1)	क्या समाधान योजना में लेनदारों की समिति के अनुसार उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं?		
विनियम 35क	क्या समाधान व्यावसायिक ने दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से एक सौ पन्द्रहवें दिन से पूर्व बोर्ड को सूचित करते हुए यह अवधारण किया है कि यदि कारपोरेट ऋणी धारा 43, 45, 50 या 66 के अंतर्गत आने वाली प्रकृति के किसी संव्यवहार के अध्यधीन रहा है?		
विनियम 38(1)	क्या समाधान योजना में निधियों के ऐसे विनिर्दिष्ट स्रोतों की पहचान की गई है जिनका उपयोग निम्नलिखित का संदाय करने के लिए किया जाएगा –		
	(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत?		
	(ख) प्रक्रियागत लेनदारों को देय समापन मूल्य?		
	(ग) विसम्मत वित्तीय लेनदारों को देय समापन मूल्य?		
विनियम 38(1क)	क्या समाधान योजना में यह कथन शामिल है कि उसमें सभी हितधारकों के हितों पर किस प्रकार विचार किया गया है?		
विनियम 38(2)	क्या समाधान योजना में निम्नलिखित के लिए उपबंध है:		
	(क) योजना की अवधि और उसकी कार्यान्वयन अनुसूची?		
	(ख) उसकी अवधि के दौरान कारपोरेट ऋणी के कारबार के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए?		
	(ग) उसके कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त साधन?		
38(3)	क्या समाधान योजना यह प्रदर्शित करती है कि –		
	(क) वह व्यतिक्रम के कारण को दूर करती है?		
L		1	i .

_24	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART III—SEC. 4]	
	(ख) वह साध्य और व्यवहार्य है?		
	(ग) उसमें इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपबंध हैं?		
	(घ) इसमें अपेक्षित अनुमोदनों और उसके लिए समयसीमा के लिए उपबंध हैं?		
	(ङ) समाधान आवेदक समाधान योजना को कार्यान्वित करने केलिए सक्षम है?		
39(2)	क्या समाधान व्यावसायिक ने उसके द्वारा संप्रेक्षित, पाए गए या अवधारित संव्यवहारों की बाबत आवेदन फाइल किया है?		

10. सी.आई.आर.पी. का संचालन नीचे उपदर्शित समय-सीमा के अनुसार किया गया है:

	c c	00 10 1	
संहिता की धारा/	क्रियाकलाप का विवरण	विनियम 40क के	वास्तविक
विनियम सं.		अधीन अद्यतन	तारीख
		समयसीमा	
धारा 16(1)	सी.आई.आर.पी. का प्रारंभ और आई.आर.पी. की	टी	टी
	नियुक्ति		
विनियम 6(1)	सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन	ਰੀ+3	
धारा 15(1)(ग)/	दावों का प्रस्तुत किया जाना	ਟੀ+14	
विनियम 12(1)	-		
विनियम 13(1)	दावों की सत्यापन	ਟੀ+21	
धारा 26(6क)/	प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए आवेदन, यदि	ਟੀ+23	
विनियम 15क	आवश्यक हो		
विनियम 17(1)	लेनदारों की समिति का गठन प्रमाणित करते हुए	ਟੀ+23	
,	्रिपोर्ट फाइल करना		
धारा 22(1) और	लेनदारों की समिति की पहली बैठक	ਟੀ+30	
विनियम 17(2)			
विनियम 35क	कपटपूर्ण और अन्य संव्यवहारों का अवधारण	ਟੀ+115	
विनियम 27	दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति	ਟੀ +47	
विनियम 36(1)	लेनदारों की समिति को सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करना	ਟੀ +57	
विनियम 36क	रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण	ਟੀ+ 75	
	प्ररूप छ का प्रकाशन	ਟੀ +75	
	समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची	ਟੀ +100	
	समाधान आवेदकों की अंतिम सूची	ਟੀ +115	
विनियम 36ख	समाधान आवेदकों को समाधान योजना के लिए	ਟੀ +105	
	निवेदन जारी करना, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन मैट्रिक्स		
	और सूचना ज्ञापन है		
धारा 30(6)/ विनियम	लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना	ਟੀ +165	
39(4)	प्रस्तुत करना		
धारा 31(1)	समाधान योजना का अनुमोदन	ਟੀ =180	

11. सुसंगत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	अनुमोदन का नाम	लागू विधि का नाम	उस प्राधिकारी का नाम जो अनुमोदन प्रदान करेगा	कब प्राप्त किया जाना है
1				
2				
3				

12.	समाधान	योजना	किसी	आकस्मिकता	के	अध्यधीन	नहीं है	ı
-----	--------	-------	------	-----------	----	---------	---------	---

या

समाधान योजना निम्नलिखित आकस्मिकताओं के अध्यधीन है (आकस्मिकताओं का विस्तृत ब्यौरा दें)
1
II

13. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों या जारी परिपत्रों के विचलन/अननुपालन निम्नलिखित हैं (यदि कोई विचलन/अननुपालन पाया जाता है तो कृपया उसके ब्यौरे और कारणों का कथन करें)

क्रम सं.	पाया गया विचलन/अननुपालन	संहिता की धारा/ विनियम सं./ परिपत्र सं.	कारण	क्या सुधार किया गया अथवा नहीं
1				
2				
3				

- 14. समाधान योजना संहिता की धारा 12 में उपबंधित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि की समाप्ति से......दिन पूर्व फाइल की जा रही है ।
- 15. धारा 66 या फाइल की गई/लंबित परिवर्जन आवेदन के ब्यौरे दें।

क्रम सं.	संव्यवहार का प्रकार	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल करने की तारीख	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश की तारीख	आदेश का संक्षिप्त विवरण
1.	धारा 43 के अधीन अधिमानी संव्यवहार			
2.	धारा 45 के अधीन अधोमूल्यांकित संव्यवहार			
3.	धारा 50 के अधीन उद्दीपित प्रत्यय संव्यवहार			
4.	धारा 66 के अधीन कपटपूर्ण संव्यवहार			

16. मैं...... (समाधान व्यावसायिक का नाम) प्रमाणित करता हूं कि इस प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इनमें से कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है ।

(हस्ताक्षर)

समाधान व्यावसायिक का नाम:

आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं.

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता:

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.:

तारीख:

स्थान:";

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-।।।/4/असा./130/18]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात्-

- (1) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.013, तारीख 16 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017:
- (2) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.018, तारीख 5 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017:
- (3) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.019, तारीख 7 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017;
- (4) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.022, तारीख 31 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017;
- (5) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.024, तारीख 6 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018; और
- (6) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.030, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018

द्वारा संशोधन किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2018

THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS FOR CORPORATE PERSONS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. IBBI/2018-19/GN/REG031.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:—

- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and shall apply to corporate insolvency resolution processes commencing on or after the said date.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(aa) "class of creditors" means a class with at least ten financial creditors under clause (b) of sub-section (6A) of section 21 and the expression, "creditors in a class" shall be construed accordingly.".
- 3. In the principal regulations, in regulation 3,—
 - (a) in sub-regulation (1), in clause (c), in sub-clause (ii), for the words "ten per cent", the words "five per cent" shall be substituted:
 - (b) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—
 - "(1A) Where the committee decides to appoint the interim resolution professional as resolution professional or replace the interim resolution professional under section 22 or replace the resolution professional under section 27, it shall obtain the written consent of the proposed resolution professional in Form AA of the Schedule."
- **4.** In the principal regulations, after regulation 4, the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

"4A. Choice of authorised representative

- (1) On an examination of books of account and other relevant records of the corporate debtor, the interim resolution professional shall ascertain class(s) of creditors, if any.
- (2) For representation of creditors in a class ascertained under sub-regulation (1) in the committee, the interim resolution professional shall identify three insolvency professionals who are—
 - (a) not his relatives or related parties;
 - (b) eligible to be insolvency professionals under regulation 3; and
 - (c) willing to act as authorised representative of creditors in the class.
- (3) The interim resolution professional shall obtain the consent of each insolvency professional identified under sub-regulation (2) to act as the authorised representative of creditors in the class in Form AB of the Schedule.".
- 5. In the principal regulations, in regulation 6,
 - (i) in sub-regulation (2), after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:—
 - "(ba) state where claim forms can be downloaded or obtained from, as the case may be;
 - (bb) offer choice of three insolvency professionals identified under regulation 4A to act as the authorised representative of creditors in each class; and".
 - (ii) in sub-regulation (3), the words "Clarification- The expenses on the public announcement shall not form part of insolvency resolution process costs" shall be omitted.
- **6.** In the principal regulations, in regulation 7, in sub-regulation (1), for the words, "submit proof of claim", the words "submit claim with proof" shall be substituted.

- 7. In the principal regulations, in regulation 8, -
 - (a) in sub-regulation (1), for the words, "financial creditor of the corporate debtor shall submit proof of claim", the words "financial creditor, other than a financial creditor belonging to a class of creditors, shall submit claim with proof" shall be substituted;
 - (b) in sub-regulation (2), in clause (b), in sub-clause (iii), for the word "repaid", the word "paid" shall be substituted.
- **8.** In the principal regulations, after regulation 8, the following regulation shall be inserted, namely: -

"8A. Claims by creditors in a class.

- (1) A person claiming to be a creditor in a class shall submit claim with proof to the interim resolution professional in electronic form in Form CA of the Schedule.
- (2) The existence of debt due to a creditor in a class may be proved on the basis of-
 - (a) the records available with an information utility, if any; or
 - (b) other relevant documents, including any-
 - (i) agreement for sale;
 - (ii) letter of allotment;
 - (iii) receipt of payment made; or
 - (iv) such other document, evidencing existence of debt.
- (3) A creditor in a class may indicate its choice of an insolvency professional, from amongst the three choices provided by the interim resolution professional in the public announcement, to act as its authorised representative."
- 9. In the principal regulations, in regulation 9, in sub-regulation (1) and (2), for the words, "proof of claim", the words "claim with proof" shall respectively be substituted;
- **10.** In the principal regulations, in regulation 9A, in sub-regulation (1), for the words, "proof of its claim", the words "its claim with proof" shall be substituted.
- 11. In the principal regulations, in regulation 12, -
 - (a) in sub-regulation (1), for the words, "proof of claim", the words "claim with proof" shall be substituted;
 - (b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(2) A creditor, who fails to submit claim with proof within the time stipulated in the public announcement, may submit the claim with proof to the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, on or before the ninetieth day of the insolvency commencement date.";
 - (c) in sub-regulation (3), for the words, "a financial creditor", the words "a financial creditor under regulation 8" shall be substituted.
- 12. After regulation 16, the following regulations shall be inserted, namely: -

"16A. Authorised representative.

(1) The interim resolution professional shall select the insolvency professional, who is the choice of the highest number of financial creditors in the class in Form CA received under sub-regulation (1) of regulation 12, to act as the authorised representative of the creditors of the respective class:

Provided that the choice for an insolvency professional to act as authorised representative in Form CA received under sub-regulation (2) of regulation 12 shall not be considered.

- (2) The interim resolution professional shall apply to the Adjudicating Authority for appointment of the authorised representatives selected under sub-regulation (1) within two days of the verification of claims received under sub-regulation (1) of regulation 12.
- (3) Any delay in appointment of the authorised representative for any class of creditors shall not affect the validity of any decision taken by the committee.
- (4) The interim resolution professional shall provide the list of creditors in each class to the respective authorised representative appointed by the Adjudicating Authority.
- (5) The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall provide an updated list of creditors in each class to the respective authorised representative as and when the list is updated.

Clarification: The authorised representative shall have no role in receipt or verification of claims of creditors of the class he represents.

- (6) The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall provide electronic means of communication between the authorised representative and the creditors in the class.
- (7) The voting share of a creditor in a class shall be in proportion to the financial debt which includes an interest at the rate of eight per cent per annum unless a different rate has been agreed to between the parties.
- (8) The authorised representative of creditors in a class shall be entitled to receive fee for every meeting of the committee attended by him in the following manner, namely: -

Number of creditors in the class	Fee per meeting of the committee (Rs.)
10-100	15,000
101-1000	20,000
More than 1000	25,000

(9) The authorised representative shall circulate the agenda to creditors in a class and announce the voting window at least twenty-four hours before the window opens for voting instructions and keep the voting window open for at least twelve hours.

16B. Committee with only creditors in a class.

Where the corporate debtor has only creditors in a class and no other financial creditor eligible to join the committee, the committee shall consist of only the authorised representative(s).".

13. In the principal regulations, for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely: -

"17. Constitution of committee.

- (1) The interim resolution professional shall file a report certifying constitution of the committee to the Adjudicating Authority within two days of the verification of claims received under sub-regulation (1) of regulation 12.
- (2) The interim resolution professional shall hold the first meeting of the committee within seven days of filing the report under this regulation.
- (3) Where the appointment of resolution professional is delayed, the interim resolution professional shall perform the functions of the resolution professional from the fortieth day of the insolvency commencement date till a resolution professional is appointed under section 22.".
- 14. In the principal regulations, for regulation 19, the following regulation shall be substituted, namely: -
 - "19. (1) Subject to this Regulation, a meeting of the committee shall be called by giving not less than five days' notice in writing to every participant, at the address it has provided to the resolution professional and such notice may be sent by hand delivery, or by post but in any event, be served on every participant by electronic means in accordance with Regulation 20.
 - (2) The committee may reduce the notice period from five days to such other period of not less than twenty-four hours, as it deems fit:

Provided that the committee may reduce the period to such other period of not less than forty-eight hours if there is any authorised representative.".

- **15.** In the principal regulations, in regulation 25, -
 - (a) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
 - "(3) The resolution professional shall take a vote of the members of the committee present in the meeting, on any item listed for voting after discussion on the same."
 - (b) for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:
 - "(5) The resolution professional shall-
 - (a) circulate the minutes of the meeting by electronic means to all members of the committee within forty-eight hours of the conclusion of the meeting; and
 - (b) seek a vote of the members who did not vote at the meeting on the matters listed for voting, by electronic voting system in accordance with regulation 26 where the voting shall be kept open for twenty-four hours from the circulation of the minutes, for.".

- 16. In the principal regulations, in regulation 26, sub-regulation (2) shall be omitted.
- 17. In the principal regulations, in regulation 27, for the words, "seven days of his appointment", the words "seven days of his appointment, but not later than forty-seventh day from the insolvency commencement date" shall be substituted.
- **18.** In the principal regulations, in regulation 29, in sub-regulation (2), for the words, "approval of the committee", the words "approval of the committee by a vote of sixty-six per cent of voting share of the members" shall be substituted.
- 19. In the principal regulations, after regulation 30, the following regulation shall be inserted, namely:

"30A. Withdrawal of application.

- (1) An application for withdrawal under section 12A shall be submitted to the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, in Form FA of the Schedule before issue of invitation for expression of interest under regulation 36A.
- (2) The application in sub-regulation (1) shall be accompanied by a bank guarantee towards estimated cost incurred for purposes of clauses (c) and (d) of regulation 31 till the date of application.
- (3) The committee shall consider the application made under sub-regulation (1) within seven days of its constitution or seven days of receipt of the application, whichever is later.
- (4) Where the application is approved by the committee with ninety percent voting share, the resolution professional shall submit the application under sub-regulation (1) to the Adjudicating Authority on behalf of the applicant, within three days of such approval.
- (5) The Adjudicating Authority may, by order, approve the application submitted under sub-regulation (4).".
- 20. In the principal regulations, in regulation 31, after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely: -
 - "(aa) fee payable to authorised representative under sub-regulation (7) of regulation 16A;
 - (ab) out of pocket expenses of authorised representative for discharge of his functions under section 25;".
- 21. In the principal regulations, for regulation 35A, the following regulation shall be substituted, namely: -

"35A. Preferential and other transactions.

- (1) On or before the seventy-fifth day of the insolvency commencement date, the resolution professional shall form an opinion whether the corporate debtor has been subjected to any transaction covered under sections 43, 45, 50 or 66.
- (2) Where the resolution profesional is of the opinion that the corporate debtor has been subjected to any transactions covered under sections 43, 45, 50 or 66, he shall make a determination on or before the one hundred and fifteenth day of the insolvency commencement date, under intimation to the Board.
- (3) Where the resolution profesional makes a determination under sub-regulation (2), he shall apply to the Adjudicating Authority for appropriate relief on or before the one hundred and thirty-fifth day of the insolvency commencement date."
- 22. In the principal regulations, in regulation 36, -
- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
- "(1) Subject to sub-regulation (4), the resolution professional shall submit the information memorandum in electronic form to each member of the committee within two weeks of his appointment, but not later than fifty-fourth day from the insolvency commencement date, whichever is earlier."
- (b) in sub-regulation (4), the words "or a prospective resolution applicant" shall be omitted;
- 23. In the principal regulations, for regulation 36A, the following regulation shall be substituted, namely: -

"36A. Invitation for expression of interest.

- (1) The resolution professional shall publish brief particulars of the invitation for expression of interest in Form G of the Schedule at the earliest, not later than seventy-fifth day from the insolvency commencement date, from interested and eligible prospective resolution applicants to submit resolution plans.
- (2) The resolution professional shall publish Form G-
- (i) in one English and one regional language newspaper with wide circulation at the location of the registered office and principal office, if any, of the corporate debtor and any other location where in the opinion of the resolution professional, the corporate debtor conducts material business operations;
- (ii) on the website, if any, of the corporate debtor;

- (iii) on the website, if any, designated by the Board for the purpose; and
- (iv) in any other manner as may be decided by the committee.
- (3) The Form G in the Schedule shall -
- (a) state where the detailed invitation for expression of interest can be downloaded or obtained from, as the case may be; and
- (b) provide the last date for submission of expression of interest which shall not be less than fifteen days from the date of issue of detailed invitation.
- (4) The detailed invitation referred to in sub-regulation (3) shall—
- (a) specify the criteria for prospective resolution applicants, as approved by the committee in accordance with clause (h) of sub-section (2) of section 25;
- (b) state the ineligibility norms under section 29A to the extent applicable for prospective resolution applicants;
- (c) provide such basic information about the corporate debtor as may be required by a prospective resolution applicant for expression of interest; and
- (d) not require payment of any fee or any non-refundable deposit for submission of expression of interest.
- (5) A prospective resolution applicant, who meet the requirements of the invitation for expression of interest, may submit expression of interest within the time specified in the invitation under clause (b) of sub-regulation (3).
- (6) The expression of interest received after the time specified in the invitation under clause (b) of sub-regulation (3) shall be rejected.
- (7) An expression of interest shall be unconditional and be accompanied by-
- (a) an undertaking by the prospective resolution applicant that it meets the criteria specified by the committee under clause (h) of sub-section (2) of section 25;
- (b) relevant records in evidence of meeting the criteria under clause (a);
- (c) an undertaking by the prospective resolution applicant that it does not suffer from any ineligibility under section 29A to the extent applicable;
- (d) relevant information and records to enable an assessment of ineligibility under clause (c);
- (e) an undertaking by the prospective resolution applicant that it shall intimate the resolution professional forthwith if it becomes ineligible at any time during the corporate insolvency resolution process;
- (f) an undertaking by the prospective resolution applicant that every information and records provided in expression of interest is true and correct and discovery of any false information or record at any time will render the applicant ineligible to submit resolution plan, forfeit any refundable deposit, and attract penal action under the Code; and
- (g) an undertaking by the prospective resolution applicant to the effect that it shall maintain confidentiality of the information and shall not use such information to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person and comply with the requirements under sub-section (2) of section 29.
- (8) The resolution professional shall conduct due diligence based on the material on record in order to satisfy that the prospective resolution applicant complies with-
- (a) the provisions of clause (h) of sub-section (2) of section 25;
- (b) the applicable provisions of section 29A, and
- (c) other requirements, as specified in the invitation for expression of interest.
- (9) The resolution professional may seek any clarification or additional information or document from the prospective resolution applicant for conducting due diligence under sub-regulation (8).
- (10) The resolution professional shall issue a provisional list of eligible prospective resolution applicants within ten days of the last date for submission of expression of interest to the committee and to all prospective resolution applicants who submitted the expression of interest.
- (11) Any objection to inclusion or exclusion of a prospective resolution applicant in the provisional list referred to in sub-regulation (10) may be made with supporting documents within five days from the date of issue of the provisional list.
- (12) On considering the objections received under sub-regulation (11), the resolution professional shall issue the final list of prospective resolution applicants within ten days of the last date for receipt of objections, to the committee.".

24. In the principal regulations, after regulation 36A, the following regulation shall be inserted, namely: -

"36B. Request for resolution plans.

- (1) The resolution professional shall issue the information memorandum, evaluation matrix and a request for resolution plans, within five days of the date of issue of the provisional list under sub-regulation (10) of regulation 36A to -
 - (a) every prospective resolution applicant in the provisional list; and
 - (b) every prospective resolution applicant who has contested the decision of the resolution professional against its non-inclusion in the provisional list.
- (2) The request for resolution plans shall detail each step in the process, and the manner and purposes of interaction between the resolution professional and the prospective resolution applicant, along with corresponding timelines.
- (3) The request for resolution plans shall allow prospective resolution applicants a minimum of thirty days to submit the resolution plan(s).
- (4) The request for resolution plans shall not require any non-refundable deposit for submission of or along with resolution plan.
- (5) Any modification in the request for resolution plan or the evaluation matrix issued under sub-regulation (1), shall be deemed to be a fresh issue and shall be subject to timeline under sub-regulation (3).
- (6) The resolution professional may, with the approval of the committee, extend the timeline for submission of resolution plans.
- (7) The resolution professional may, with the approval of the committee, re-issue request for resolution plans, if the resolution plans received in response to an earlier request are not satisfactory, subject to the condition that the request is made to all prospective resolution applicants in the final list:
 - Provided that provisions of sub-regulation (3) shall not apply for submission of resolution plans under this sub-regulation.".
- 25. In the principal regulations, in regulation 37, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -
- "(ca) cancellation or delisting of any shares of the corporate debtor, if applicable;".
- **26.** In the principal regulations, in regulation 38, -
- (a) in sub-regulation (1), in clause (a), for the words, "insolvency resolution process costs will be paid", the words "insolvency resolution process costs, to the extent unpaid, will be paid" shall be substituted;
- (b) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
- "(3) A resolution plan shall demonstrate that
 - (a) it addresses the cause of default;
 - (b) it is feasible and viable;
 - (c) it has provisions for its effective implementation;
 - (d) it has provisions for approvals required and the timeline for the same; and
 - (e) the resolution applicant has the capability to implement the resolution plan.".
- 27. In the principal regulations, in regulation 39, -
- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -
- "(1) A prospective resolution applicant in the final list may submit resolution plan or plans prepared in accordance with the Code and these regulations to the resolution professional electronically within the time given in the request for resolution plans under regulation 36B along with
 - (a) an affidavit stating that it is eligible under section 29A to submit resolution plans;

- (b) an undertaking that it will provide for additional funds to the extent required for the purposes under subregulation (1) of regulation 38; and
- (c) an undertaking by the prospective resolution applicant that every information and records provided in connection with or in the resolution plan is true and correct and discovery of false information and record at any time will render the applicant ineligible to continue in the corporate insolvency resolution process, forfeit any refundable deposit, and attract penal action under the Code.
- (1A) A resolution plan which does not comply with the provisions of sub-regulation (1) shall be rejected.".
- (b) for sub-regulation (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -
- "(3) The committee shall evaluate the resolution plans received under sub-regulation (1) strictly as per the evaluation matrix to identify the best resolution plan and may approve it with such modifications as it deems fit:

Provided that the committee shall record the reasons for approving or rejecting a resolution plan.".

- (c) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
- "(4) The resolution professional shall endeavour to submit the resolution plan approved by the committee to the Adjudicating Authority at least fifteen days before the maximum period for completion of corporate insolvency resolution process under section 12, along with a compliance certificate in Form H of the Schedule."
- 28. In the principal regulations, after regulation 40, the following regulation shall be inserted, namely: -

"40A. Model time-line for corporate insolvency resolution process.

The following Table presents a model timeline of corporate insolvency resolution process on the assumption that the interim resolution professional is appointed on the date of commencement of the process and the time available is hundred and eighty days:

Section / Regulation	Description of Activity	Norm	Latest Timeline
Section 16(1)	Commencement of CIRP and appointment of IRP		Т
Regulation 6(1)	Public announcement inviting claims	Within 3 Days of Appointment of IRP	T+3
Section 15(1)(c) / Regulations 6(2)(c) and 12 (1)	Submission of claims	For 14 Days from Appointment of IRP	T+14
Regulation 12(2)	Submission of claims	Up to 90 th day of commencement	T+90
Regulation 13(1)	Verification of claims received under regulation 12(1)	Within 7 days from the receipt of the claim	T+21
Regulation 13(2)	Verification of claims received under regulation 12(2)		T+97
Section 21(6A) (b) / Regulation 16A	Application for appointment of AR	on for appointment of AR Within 2 days from verification of claims received under	
Regulation 17(1)	Report certifying constitution of CoC	regulation 12(1)	T+23
Section 22(1) / Regulation 19(1)	1 st meeting of the CoC	Within 7 days of the constitution of the CoC, but with seven days' notice	T+30
Section 22(2)	Resolution to appoint RP by the CoC	In the first meeting of the CoC	T+30
Section 16(5)	Appointment of RP	On approval by the AA	•••••
Regulation 17(3)	IRP performs the functions of RP till the RP is appointed.	If RP is not appointed by 40 th day of commencement	T+40
Regulation 27	Appointment of valuer	Within 7 days of appointment of RP, but not later than 40 th day of commencement	T+47

Section 12(A) / R egulation30A	Submission of application for withdrawal of application admitted	Before issue of EoI	W
	CoC to dispose of the application	Within 7 days of its receipt or 7 days of constitution of CoC, whichever is later.	W+7
	Filing application of withdrawal, if approved by CoC with 90% majority voting, by RP to AA	Within 3 days of approval by CoC	W+10
Regulation 35A	RP to form an opinion on preferential and other transactions	Within 75 days of the commencement	T+75
	RP to make a determination on preferential and other transactions	Within 115 days of commencement	T+115
	RP to file applications to AA for appropriate relief	Within 135 days of commencement	T+135
Regulation 36 (1)	Submission of IM to CoC	Within 2 weeks of appointment of RP, but not later than 54 th day of commencement	T+54
Regulation 36A	Publish Form G	Within 75 days of	T+75
	Invitation of EoI	commencement	
	Submission of EoI	At least 15 days from issue of EoI (Assume 15 days)	T+90
	Provisional List of RAs by RP	Within 10 days from the last day of receipt of EoI	T+100
	Submission of objections to provisional list	For 5 days from the date of provisional list	T+105
	Final List of RAs by RP	Within 10 days of the receipt of objections	T+115
Regulation 36B	Issue of RFRP, including Evaluation Matrix and IM	Within 5 days of the issue of the provisional list	T+105
	Receipt of Resolution Plans	At least 30 days from issue of RFRP (Assume 30 days)	T+135
Regulation 39(4)	Submission of CoC approved Resolution Plan to AA	As soon as approved by the CoC	T+165
Section 31(1)	Approval of resolution plan by AA		T=180

AA: Adjudicating Authority; AR: Authorised Representative; CIRP: Corporate Insolvency Resolution Process; CoC: Committee of Creditors; EoI: Expression of Interest; IM: Information Memorandum; IRP: Interim Resolution Professional; RA: Resolution Applicant; RP: Resolution Professional; RFRP: Request for Resolution Plan.".

- 29. In the principal regulations, in the Schedule, -
- (a) for Form A, the following Forms shall be substituted, namely:

"FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF [NAME OF CORPORATE DEBTOR]

	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of corporate debtor	
2.	Date of incorporation of corporate debtor	
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	
11.	Last date for submission of claims	
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es)
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. 2. 3.
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: Physical Address:

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the [name of the corporate debtor] on [insolvency commencement date].

The creditors of [name of the corporate debtor], are hereby called upon to submit their claims with proof on or before [insert the date falling fourteen days from the appointment of the interim resolution professional] to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [specify class] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signat	ture of Interim Resolution Professional	:	
Date and Place	:		:

FORM AA

WRITTEN CONSENT TO ACT AS RESOLUTION PROFESSIONAL

[Under Regulation 3(1A) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

[Date]

From

[Name of the insolvency professional]

[Registration number of the insolvency professional]

[Address of the insolvency professional registered with the Board]

To

The Committee of Creditors [name of corporate debtor]

Subject: Written Consent to act as resolution professional.

- I, [name], an insolvency professional enrolled with [name of insolvency professional agency] and registered with the Board, note that the committee proposes to appoint me as resolution professional under section 22(3)(a) / 22(3)(b) / 27(2) of the Code for corporate insolvency resolution process of [name of the corporate debtor].
- 2. In accordance with regulation 3(1A) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, I hereby give consent to the proposed appointment.
- 3. I declare and affirm as under:
 - a. I am registered with the Board as an insolvency professional.
 - b. I am not subject to any disciplinary proceedings initiated by the Board or the Insolvency Professional Agency.
 - c. I do not suffer from any disability to act as a resolution professional.
 - d. I am eligible to be appointed as resolution professional of the corporate debtor under regulation 3 and other applicable provisions of the Code and regulations.
 - e. I shall make the disclosures in accordance with the code of conduct for insolvency professionals as set out in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016;
 - f. I am having the following processes in hand:

Sl. No.	Role as	No. of Processes on the date of Consent
1	Interim Resolution Professional	
2	Resolution Professional of a. Corporate Debtors b. Individuals	
3	Liquidator of a. Liquidation Processes b. Voluntary Liquidation Processes	
4	Bankruptcy Trustee	
5	Authorised Representative	
6	Any other (Please state)	

Date:	(Signature of the insolvency professional)
Place:	Registration No

FORM AB

WRITTEN CONSENT TO ACT AS AUTHORISED REPRESENTATIVE

[Under Regulation 4A(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

[Date]

From

[Name of the insolvency professional]

[Registration number of the insolvency professional]

[Registered address of the insolvency professional]

To

The Interim Resolution Professional

[name of corporate debtor]

Subject: Written Consent to act as authorized representative.

- I, [name], an insolvency professional enrolled with [name of insolvency professional agency] and registered with the Board, note that you have proposed to appoint me as the authorized representative of financial creditors in a class [specify class] in the corporate insolvency resolution process of [name of the corporate debtor].
- 2. In accordance with regulation 4(A) of the IBBI (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, I hereby give my consent to the proposed appointment.

- 3. I declare and affirm as under:
 - a. I am registered with the Board as an insolvency professional.
 - b. I am not subject to any disciplinary proceedings initiated by the Board or the Insolvency Professional Agency.
 - c. I do not suffer from any disability to act as an authorized representative.
 - d. I shall not canvass with the creditors to indicate their choice in my favour in Form CA.
 - e. I am having the following processes in hand:

Sl. No.	Role as	No. of Processes on the date of Consent
1	Interim Resolution Professional	
2	Resolution Professional of	
	a. Corporate Debtors	
	b. Individuals	
3	Liquidator of	
	a. Liquidation Processes	
	b.Voluntary Liquidation Processes	
4	Bankruptcy Trustee	
5	Authorised Representative	
6	Any other (Please state)	

Date:	(Signature of the insolvency professional)
Place:	Registration No".

(b) for Form C, the following Forms shall be inserted, namely:—

"FORM C

SUBMISSION OF CLAIM BY FINANCIAL CREDITORS

(Under Regulation 8 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

[Date]

From

[Name and address of the financial creditor, including address of its registered office and principal office]

To

The Interim Resolution Professional / Resolution Professional,

[Name of the Insolvency Resolution Professional / Resolution Professional]

[Address as set out in public announcement]

Subject: Submission of claim and proof of claim.

Madam/Sir,

[Name of the financial creditor], hereby submits this claim in respect of the corporate insolvency resolution process of [name of corporate debtor]. The details for the same are set out below:

	Relevant Particulars			
1.	Name of the financial creditor			
2.	Identification number of the financial creditor			
	(If an incorporated body, provide identification number and proof of incorporation.			
	If a partnership or individual provide identification records* of all the partners or			
	the individual)			

	Relevant Particulars				
3.	Address and email address of the financial creditor for correspondence				
4.	Total amount of claim				
	(including any interest as at the insolvency commencement date)				
5.	Details of documents by reference to which the debt can be substantiated				
6.	Details of how and when debt incurred				
7.	Details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim				
8.	Details of any security held, the value of the security, and the date it was given				
9.	Details of the bank account to which the amount of the claim or any part thereof can be transferred pursuant to a resolution plan				
10.	List of documents attached to this claim in order to prove the existence and non-payment of claim due to the financial creditor				
	ture of financial creditor or person authorised to act on his behalf) e enclose the authority if this is being submitted on behalf of the financial creditor]				
Name	in BLOCK LETTERS				
Position with or in relation to creditor					
Addres	ss of person signing				

DECLARATION

- I, [Name of claimant], currently residing at [insert address], do hereby declare and state as follows:—
 - 1. [Name of corporate debtor], the corporate debtor was, at the insolvency commencement date, being the......day of..........20......, actually indebted to me for a sum of Rs. [insert amount of claim].
 - 2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below: [Please list the documents relied on as evidence of claim].
 - 3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief and no material facts have been concealed therefrom.
 - 4. In respect of the said sum or any part thereof, neither I, nor any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

 [Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim].
 - 5. I am / I am not a related party of the corporate debtor, as defined under section 5 (24) of the Code.
 - 6. I am eligible to join committee of creditors by virtue of proviso to section 21 (2) of the Code even though I am a related party of the corporate debtor.

Date:

Place:

(Signature of the claimant)

VERIFICATION

I, [Name] the claimant hereinabove, do hereby verify that the contents of this proof of claim are true and correct to my knowledge and belief and no material fact has been concealed therefrom.

Verified at ... on this day of, 20...

(Signature of claimant)

[Note: In the case of company or limited liability partnership, the declaration and verification shall be made by the director/manager/secretary/designated partner and in the case of other entities, an officer authorised for the purpose by the entity.]

^{*}PAN number, passport, AADHAAR Card or the identity card issued by the Election Commission of India.

FORM CA

SUBMISSION OF CLAIM BY FINANCIAL CREDITORS IN A CLASS

(Under Regulation 8A of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons)
Regulations, 2016)

[Date]

From

[Name and address of the financial creditor, including address of its registered office and principal office]

 T_{Ω}

The Interim Resolution Professional / Resolution Professional

[Name of the Insolvency Resolution Professional / Resolution Professional]

[Address as set out in public announcement]

Subject: Submission of claim and proof of claim.

Madam/Sir.

[Name of the financial creditor], hereby submits this claim in respect of the corporate insolvency resolution process of [name of corporate debtor]. The details for the same are set out below:

	RELEVANT PARTICULARS				
1.	Name of the financial creditor				
2.	Identification number of the financial creditor				
	(If an incorporated body, provide identification number and proof of incorporation. If a partnership or individual, provide identification records of all the partners or the individual)				
3.	Address and e-mail address of the financial creditor for correspondence.				
4.	Total amount of claim (in Rs.)				
5.	Details of documents by reference to which the debt can be substantiated				
6.	Details of how and when debt incurred				
7.	Details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim				
8.	Details of any security held, the value of the security, and the date it was given				
9.	Details of the bank account to which the amount of the claim or any part thereof can be transferred pursuant to a resolution plan				
10.	List of documents attached to this claim in order to prove the existence and non-payment of claim due				
11.	Name of the insolvency professional who will act as the Authorised representative of creditors of the class				

Signature of financial creditor or person authorised to act on its behalf [Please enclose the authority if this is being submitted on behalf of the financial creditor]				
Name in BLOCK LETTERS				
Position with or in relation to creditor				
Address of person signing				

DECLARATION

- I, [Name of claimant], currently residing at [insert address], do hereby declare and state as follows:—
 - 1. [Name of corporate debtor], the corporate debtor was, at the insolvency commencement date, being the......day of.......20....., actually indebted to me for a sum of Rs. [insert amount of claim].

^{*}PAN number, passport, AADHAAR Card or the identity card issued by the Election Commission of India.

- 2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below: [Please list the documents relied on as evidence of claim].
- 3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief and no material facts have been concealed therefrom.
- 4. In respect of the said sum or any part thereof, neither I, nor any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim].

- 5. I am / I am not a related party of the corporate debtor, as defined under section 5 (24) of the Code.
- 6. I am eligible to give voting instruction to the authorized representative by virtue of proviso to section 21 (2) of the Code even though I am a related party of the corporate debtor.

Date:

Place:

(Signature of the claimant)

VERIFICATION

I, [Name] the claimant hereinabove, do hereby verify that the contents of this proof of claim are true and correct to my knowledge and belief and no material fact has been concealed therefrom.

Verified at ... on this day of, 20...

(Signature of claimant)

[Note: In the case of company or limited liability partnership, the declaration and verification shall be made by the director/manager/secretary/designated partner and in the case of other entities, an officer authorized for the purpose by the entity.]";

(c) after Form F, the following Form shall be inserted, namely: —

"FORM FA

APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS

(Under Regulation 30A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

[Date]

To

The Adjudicating Authority

[Through the Interim Resolution Professional / Resolution Professional] [name of corporate debtor]

Subject: Withdrawal of Application admitted for corporate insolvency resolution process of [name of corporate debtor]

- I, [name of applicant], had filed an application bearing [particulars of application, i.e., diary number/ case number] on [Date of filing] before the Adjudicating Authority under [Section 7 / Section 9/ Section 10] of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The said application was admitted by the Adjudicating Authority on [date] bearing [case number].
- 2. I hereby withdraw the application bearing [particulars of application i.e, diary number/ case number] filed by me before the Adjudicating Authority under [Section 7 / Section 9/Section 10] of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
- 3. I request the Committee of Creditors to approve my application for withdrawal.
- 4. I authorize the resolution professional to file this application of withdrawal with the Adjudicating Authority on my behalf, if it is approved by the Committee of Creditors with ninety percent voting power.

5. I attach the required bank guarantee towards estimated cost incurred for purposes of regulation 31(c) and (d) till the date of application.

(Signature of the applicant)

Date:

Place:

[Note: In the case of company or limited liability partnership, the declaration and verification shall be made by the director/manager/secretary/designated partner and in the case of other entities, an officer authorized for the purpose by the entity]";

(d) for Form G, the following Forms shall be substituted, namely: —

"FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons)
Regulations, 2016

	RELEVANT PARTICULARS				
1.	Name of the corporate debtor				
2.	Date of incorporation of corporate debtor				
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered				
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor				
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor				
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor				
7.	Date of invitation of expression of interest				
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:				
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:				
10.	Last date for receipt of expression of interest				
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants				
12.	Last date for submission of objections to provisional list				
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants				
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants				
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information				
16.	Last date for submission of resolution plans				
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional				
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval				
19.	Name and registration number of the resolution professional				
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board				
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional				
22.	Further Details are available at or with				
23.	Date of publication of Form G				

Signature of the Resolution Professional

Registration Number of the Resolution Professional

Registered Address of the Resolution Professional

For (Name of the Corporate Debtor)
(Date and Place)

FORM H

COMPLIANCE CERTIFICATE

(Under Regulation 39(4) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

- I, [Name of the resolution professional], an insolvency professional enrolled with [name of insolvency professional agency] and registered with the Board with registration number [registration number], am the resolution professional for the corporate insolvency resolution process (CIRP) of [name of the corporate debtor (CD)].
- 2. The details of the CIRP are as under:

Sl. No.	Particulars	Description
1	Name of the CD	
2	Date of Initiation of CIRP	
3	Date of Appointment of IRP	
4	Date of Publication of Public Announcement	
5	Date of Constitution of CoC	
6	Date of First Meeting of CoC	
7	Date of Appointment of RP	
8	Date of Appointment of Registered Valuers	
9	Date of Issue of Invitation for EoI	
10	Date of Final List of Eligible Prospective Resolution Applicants	
11	Date of Invitation of Resolution Plan	
12	Last Date of Submission of Resolution Plan	
13	Date of Approval of Resolution Plan by CoC	
14	Date of Filing of Resolution Plan with Adjudicating Authority	
15	Date of Expiry of 180 days of CIRP	
16	Date of Order extending the period of CIRP	
17	Date of Expiry of Extended Period of CIRP	
18	Fair Value	
19	Liquidation value	
20	Number of Meetings of CoC held	

- 3. I have examined the Resolution Plan received from Resolution Applicant (......) and approved by Committee of Creditors (CoC) of [Name of the corporate debtor].
- 4. I hereby certify that-
- (i) the said Resolution Plan complies with all the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (Code), the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (CIRP Regulations) and does not contravene any of the provisions of the law for the time being in force.
- (ii) the Resolution Applicant (......) has submitted an affidavit pursuant to section 30(1) of the Code confirming its eligibility under section 29A of the Code to submit resolution plan. The contents of the said affidavit are in order.
- (iii) the said Resolution Plan has been approved by the CoC in accordance with the provisions of the Code and the CIRP Regulations made thereunder. The Resolution Plan has been approved by [state the number of votes by which Resolution Plan was approved by CoC] % of voting share of financial creditors after considering its feasibility and viability and other requirements specified by the CIRP Regulations.
- (iv) The voting was held in the meeting of the CoC on [state the date of meeting] where all the members of the CoC were present.

or

I sought vote of members of the CoC by electronic voting system which was kept open at least for 24 hours as per the regulation 26.

[strike off the part that is not relevant]

5. The list of financial creditors of the CD [state the name of CD] being members of the CoC and distribution of voting share among them is as under:

Sl. No.	Name of Creditor	Voting Share (%)	Voting for Resolution Plan (Voted for / Dissented / Abstained)

- 6. The Resolution Plan includes a statement under regulation 38(1A) of the CIRP Regulations as to how it has dealt with the interests of all stakeholders in compliance with the Code and regulations made thereunder.
- 7. The amounts provided for the stakeholders under the Resolution Plan is as under:

(Amount in Rs. lakh)

Sl. No.	Category of Stakeholder*	Amount Claimed	Amount Admitted	Amount Provided under the Plan#	Amount Provided to the Amount Claimed (%)
1	Dissenting Secured Financial Creditors				
2	Other Secured Financial Creditors				
3	Dissenting Unsecured Financial Creditors				
4	Other Unsecured Financial Creditors				
5	Operational Creditors				
	Government				
	Workmen				
	Employees				
6	Other Debts and Dues				_
Total					

^{*}If there are sub-categories in a category, please add rows for each sub-category.

#Amount provided over time under the Resolution Plan and includes estimated value of non-cash components. It is not NPV.

8. The interests of existing shareholders have been altered by the Resolution plan as under:

Sl. No	Category of	No. of Shares	No. of Shares	Voting Share (%)	Voting Share (%)
	Share Holder	held before CIRP		held before CIRP	held after CIRP
			CIRP		
1	Equity				
2	Preference				
3					

9. The compliance of the Resolution Plan is as under:

Section of the Code / Regulation No.	Requirement with respect to Resolution Plan	Clause of Resolution Plan	Compliance (Yes / No)
25(2)(h)	Whether the Resolution Applicant meets the criteria approved by the CoC having regard to the complexity and scale of operations of business of the CD?		
Section 29A	Whether the Resolution Applicant is eligible to submit resolution plan as per final list of Resolution Professional or Order, if any, of the Adjudicating Authority?		
Section 30(1)	Whether the Resolution Applicant has submitted an affidavit stating that it is eligible?		
Section 30(2)	Whether the Resolution Plan: (a) provides for the payment of insolvency resolution process costs? (b) provides for the payment of the debts of operational creditors? (c) provides for the management of the affairs of the Corporate debtor? (d) provides for the implementation and supervision of the resolution plan? (e) contravenes any of the provisions of the law for the time being		
Section 30(4)	in force? Whether the Resolution Plan (a) is feasible and viable, according to the CoC? (b) has been approved by the CoC with 66% voting share?		
Section 31(1)	Whether the Resolution Plan has provisions for its effective implementation plan, according to the CoC?		
Regulation 35A	Where the resolution profesional made a determination if the corporate debtor has been subjected to any transaction of the nature covered under sections 43, 45, 50 or 66, before the one hundred and fifteenth day of the insolvency commencement date, under intimation to the Board?		
Regulation 38(1)	Whether the Resolution Plan identifies specific sources of funds that will be used to pay the— (a) insolvency resolution process costs? (b) liquidation value due to operational creditors? (c) liquidation value due to dissenting financial creditors?		
Regulation 38(1A)	Whether the resolution plan includes a statement as to how it has dealt with the interests of all stakeholders?		
Regulation 38(2)	Whether the Resolution Plan provides: (a) the term of the plan and its implementation schedule? (b) for the management and control of the business of the corporate debtor during its term? (c) adequate means for supervising its implementation?		
38(3)	Whether the resolution plan demonstrates that — (a) it addresses the cause of default? (b) it is feasible and viable? (c) it has provisions for its effective implementation? (d) it has provisions for approvals required and the timeline for the same? (e) the resolution applicant has the capability to implement the resolution plan?		
39(2)	Whether the RP has filed applications in respect of transactions observed, found or determined by him?		

10. The CIRP has been conducted as per the timeline indicated as under:

Section of the Code / Regulation No.	Description of Activity	Latest Timeline under regulation 40A	Actual Date
Section 16(1)	Commencement of CIRP and Appointment of IRP	Т	Т
Regulation 6(1)	Publication of Public Announcement	T+3	
Section 15(1)(c) /Regulation 12 (1)	Submission of Claims	T+14	
Regulation 13(1)	Verification of Claims	T+21	
Section 26(6A) / Regulation 15A	Application for Appointment of Authorised Representative, if necessary	T+23	
Regulation 17(1)	Filing of Report Certifying Constitution of CoC	T+23	
Section 22(1) and regulation 17(2)	First Meeting of the CoC	T+30	
Regulation 35A	Determination of fraudulent and other transactions	T+115	
Regulation 27	Appointment of two Registered Valuers	T+47	
Regulation 36 (1)	Submission of Information Memorandum to CoC	T+57	
Regulation 36A	Invitation of EoI	T+75	
	Publication of Form G	T+75	
	Provisional List of Resolution Applicants	T+100	
	Final List of Resolution Applicants	T+115	
Regulation 36B	Issue of Request for Resolution Plan, which includes Evaluation Matrix and Information Memorandum to Resolution Applicants	T+105	
Section 30(6) / Regulation 39(4)	Submission of CoC approved Resolution Plan	T+165	
Section 31(1)	Approval of Resolution Plan	T=180	

11. The time frame proposed for obtaining relevant approvals is as under:

Sl. No.	Nature of Approval	Name of applicable Law	Name of Authority who will grant	When to be obtained
		Eu.	Approval	
1				
2				
3				

12. The Resolution Plan is not subject to any conti	ingency.
---	----------

or

The Resolution Plan is subject to the following contingencies (Elaborate the contingencies):
i
ii.

13. Following are the deviations / non-compliances of the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, regulations made or circulars issued thereunder (If any deviation/ non-compliances were observed, please state the details and reasons for the same):

Sl. No.	Deviation/Non-compliance observed	Section of the Code / Regulation No. / Circular No.	Reasons	Whether rectified or not
1				
2				
3				

- 14. The Resolution Plan is being filed days before the expiry of the period of CIRP provided in section 12 of the Code.
- 15. Provide details of section 66 or avoidance application filed / pending.

Sl. No.	Type of Transaction	Date of Filing with Adjudicating Authority	Date of Order of the Adjudicating Authority	Brief of the Order
1	Preferential transactions under section 43			
2	Undervalued transactions under section 45			
3	Extortionate credit transactions under section 50			
4	Fraudulent transactions under section 66			

16. I (Name of Resolution Professional) hereby certify that the contents of this certificate are true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed therefrom.

(Signature)

Name of the Resolution Professional:

IP Registration No:

Address as registered with the Board:

Email id as registered with the Board:

Date:

Place:".

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./130/18]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004 on 30th November, 2016 and was subsequently amended by—

- (1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG013, dated the 16th August, 2017;
- (2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG018, dated the 5th October, 2017;
- (3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG019, dated the 7th November, 2017;
- (4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG022, dated the 31st December, 2017;
- (5) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG024, dated the 6th February, 2018; and
- (6) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG030, dated the 27th March, 2018.